

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973

(1973 का अधिनियम संख्यांक 26)

[30 मई, 1973]

अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोयला खानों को इस प्रकार पुनर्गठित और पुनर्निर्मित करने की दृष्टि से, कि कोयले के साधनों का सुव्यवस्थित और समन्वित एवं वैज्ञानिक विकास और देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप कोयले के उन साधनों का उपयोग इस हेतु सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य में निहित हो जाए और फलतः उनका ऐसा वितरण हो कि जनता का अधिक से अधिक हित हो, उन कोयला खानों की बाबत स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 है।

(2) धारा 30 और 31 के उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध 1 मई, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

¹[1क. संघ नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा—(1) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोक हित में यह समीचीन है कि संघ कोयला खानों का विनियमन और विकास, इसमें इसके पश्चात् धारा 3 की उपधारा (3) और (4) और धारा 30 की उपधारा (2) में उपबन्धित विस्तार तक, अपने नियंत्रण में ले ले।

(2) उपधारा (1) में दी गई घोषणा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1975 का 67) की धारा 2 में की गई घोषणा के अतिरिक्त है, न कि उसके अल्पीकरण में।]

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियत दिन” से 1 मई, 1973 अभिप्रेत है ;

(ख) “कोयला खान” से ऐसी खान अभिप्रेत है जिसमें कोयले के एक या अधिक संस्तर विद्यमान हैं ;

(ग) “कम्पनी” से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 591 के अर्थ में विदेशी कम्पनी भी है ;

(घ) “आयुक्त” से धारा 17 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ङ) “अभिरक्षक” से कोयला खान का प्रबन्ध-ग्रहण करने या चलाने के लिए धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक अभिप्रेत है ;

(च) सरकारी कम्पनी का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में है ;

(छ) “प्रबन्धकारी ठेकेदार” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसने, राज्य सरकार की लिखित पूर्व सहमति से, कोयला खान के स्वामी के साथ कोई ऐसा ठहराव, संविदा या व्यवस्था की है, जिसके अधीन कोयला खान की संक्रियाएं ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जाती हैं ;

(ज) “खान” से कोई ऐसा उत्पात अभिप्रेत है, जहां खनिजों की तलाश या अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलाई जाती रही है या चलाई जा रही है, और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत आते हैं, अर्थात् :—

¹ 1976 के अधिनियम सं० 67 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

- (i) सब बोरिंग और बोर-छिद्र ;
- (ii) सब कूपक, चाहे वे गलाए जा रहे हों या नहीं ;
- (iii) अनुखनन के अनुक्रम के सब समतलिकाएं और आनत समपथ ;
- (iv) सब विवृत्त खनित ;
- (v) खनिजों या अन्य वस्तुओं को खान में लाने या वहां से हटाने या वहां से कचरा हटाने के लिए उपबन्धित सब प्रवहणियां या आकाशी रज्जुमार्ग ;
- (vi) खान में के उसके पार्श्वस्थ, और खान के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त सब भूमि, भवन, संकर्म, एडिट, समतलिकाएं, समपथ, मशीनरी और उपस्कर, उपकरण, भंडार, यान, रेलें, ट्राम्वे और साइडिंग ;
- (vii) खान में के या उसके पार्श्वस्थ, और खान के या एक ही प्रबन्ध के अधीन की खानों के प्रयोजनों के लिए पर्याप्ततः प्रयुक्त सब कर्मशालाएं (जिनके अन्तर्गत ऐसी कर्मशालाओं के भवन, मशीनरी, उपकरण, भंडार, उपस्कर और वह भूमि भी है, जिन पर ऐसी कर्मशालाएं हैं) ;
- (viii) खान के स्वामी का सब कोयला, चाहे वह स्टॉक में हो या अभिवहन में, और खान में उत्पादनाधीन सब कोयला ;
- (ix) खान में के सभी या वे विद्युत केन्द्र जो खान के या एक ही प्रबन्ध के अधीन की गई खानों के कार्यकरण के प्रयोजन के लिए मुख्यतया विद्युत प्रदाय के लिए चलाए जाते हैं ;
- (x) खान के स्वामी की और खान में के या उसके पार्श्वस्थ, या उसकी सतह पर स्थित सब भूमि, भवन और उपस्कर, जहां खान से प्राप्त कोयले की धुलाई या उससे कोक का विनिर्माण किया जाता है ;
- (xi) [उपखंड (x) में निर्दिष्ट से भिन्न] सब भूमि और भवन, चाहे वे जहां भी स्थित हों, यदि वे एकमात्र खान के प्रबंध, विक्रय या सम्पर्क कार्यालयों के अवस्थान के लिए, अथवा खान के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के निवास के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ;
- ¹[(xii) किसी खान के स्वामी की सब अन्य जंगम या स्थावर स्थिर आस्तियां, चाहे वे जहां भी स्थित हों और किसी खान की चालू आस्तियां, चाहे वे उसके परिसर के भीतर हों या बाहर ।

स्पष्टीकरण—“चालू आस्तियां” पद के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

- (क) नियत दिन के पूर्व किसी भी समय विक्रय किए गए कोयले और कोयला उत्पादों की बाबत शोध्य और उक्त दिन के ठीक पूर्व बकाया रकमें ;
- (ख) नियत दिन के पूर्व किसी अवधि की बाबत कोल माइन्स (कन्जर्वेशन, सेफ्टी एण्ड डेवेलपमेंट) ऐक्ट, 1952 (1952 का 19) के निरसन के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कोयला बोर्ड से शोध्य रकमें ;
- (ग) अन्यान्य ऋणियां से शोध्य रकमें, अन्य पक्षकारों को दिए गए उधार और अग्रिम धन और ऐसे विनिधान, जो कोयला खान में के विनिधान नहीं हैं ;
- (घ) संविदाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोयला नियंत्रक के पास या रेल विभाग के पास या बिलों के संदाय के लिए राज्य विद्युत बोर्ड के पास स्वामियों द्वारा किए गए प्रतिभूति निक्षेप ;
- (ङ) संविदाएं प्राप्त करने के लिए रेल विभाग के पास स्वामियों द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन ।]
- (झ) “खनिज रियायत नियम” तत्समय प्रवृत्त वे नियम अभिप्रेत हैं जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के अधीन बनाए गए हैं ;
- (ञ) “खनन कम्पनी” से कोयला खान की स्वामी कम्पनी और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 591 के अर्थ में किसी विदेशी कम्पनी के सम्बन्ध में भारत में उस कम्पनी का उपक्रम अभिप्रेत है ;
- (ट) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;
- (ठ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

¹ 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ड) “विनिर्दिष्ट तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ; और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं ;

(ढ) जो शब्द और पद इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में हैं ;

(ण) जो शब्द और पद इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में या कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) में परिभाषित नहीं हैं किन्तु खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ हैं जो खान अधिनियम, 1952 में हैं ।

अध्याय 2

कोयला खानों के स्वामियों के अधिकारों का अर्जन

3. कोयला खानों के संबंध में स्वामियों के अधिकारों का अर्जन—(1) नियत दिन को, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोयला खानों के सम्बन्ध में स्वामियों के अधिकार, हक और हित सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें पूर्ण रूप से निहित हो जाएंगे ।

1* * * * *

²[(3) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 67) की धारा 3 के प्रारम्भ से ही—

(क) निम्नलिखित से भिन्न कोई व्यक्ति भारत में, किसी भी रूप में, कोयला खनन संक्रिया नहीं करेगा, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार या कोई सरकारी कम्पनी या कोई ऐसा निगम, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध या नियंत्रण में है ; अथवा

(ii) कोई व्यक्ति, जिसे खंड (ग) के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई उपपट्टा ऐसी किसी सरकार, कम्पनी या निगम द्वारा अनुदत्त किया गया है ; अथवा

³[(iii) ऐसी कोई कंपनी, जो—

(1) लोहे और इस्पात के उत्पादन में लगी हुई है,

(2) विद्युत के उत्पादन में लगी हुई है,

(3) खान से प्राप्त कोयले की धुलाई में लगी हुई है, या

(4) ऐसे अन्य अंत्य उपयोग में लगी हुई है, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,]

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सरकार, कम्पनी या निगम के पक्ष में ऐसे प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त खनन पट्टों और ऐसी किसी सरकार, कम्पनी या निगम द्वारा दिए गए किसी उपपट्टे के सिवाय, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त अन्य सभी खनन पट्टे और उपपट्टे, जहां तक उनका संबंध कोयला निकालने या उसके खनन से है, समाप्त हो जाएंगे ;

(ग) कोयला निकालने या उसके खनन के लिए कोई पट्टा खंड (क) में निर्दिष्ट सरकार, कम्पनी या निगम से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं दिया जाएगा :

परन्तु वह सरकार, कम्पनी या निगम जिसे कोयला निकालने या उसके खनन के लिए कोई पट्टा दिया गया है, किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर उपपट्टा दे सकेगा जो उपपट्टा अनुदत्त करने वाली लिखत में विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि उस कम्पनी, सरकार या निगम का यह समाधान हो जाता है कि—

(i) ऐसे क्षेत्र में कोयले के निचय छोटी-छोटी विलगित कोटरिकाओं (पाकेटों) में हैं या एकीकृत रूप से वैज्ञानिक और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, और

(ii) उपपट्टेदार द्वारा उत्पादित कोयले का रेल द्वारा परिवहन अपेक्षित नहीं होगा ।]

(4) जब उपधारा (3) के अधीन कोई खनन पट्टा समाप्त हो जाता है तब, केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी या निगम के लिए जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, ¹*** ऐसे समाप्त हुए खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के संबंध में पूर्वेक्षण-अनुज्ञप्ति या कोई खनन पट्टा अभिप्राप्त करना विधिपूर्ण होगा ।

¹ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 11 द्वारा लोप किया गया ।

² 1976 के अधिनियम सं० 67 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

³ 1993 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹[(5) यदि नियत दिन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का, अपने द्वारा प्राप्त किसी जानकारी से या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची में सम्मिलित किसी कोयला खान की विशिष्टियों या किसी ऐसी कोयला खान के स्वामी के नाम और पते के संबंध में कोई गलती, लोप या गलत वर्णन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसी गलती, लोप या गलत वर्णन को शुद्ध कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, अनुसूची में की सुसंगत प्रविष्टियां तदनुसार शुद्ध की जाएंगी और सदैव से शुद्ध की गई समझी जाएंगी :

परन्तु किसी कोयला खान के स्वामित्व के संबंध में कोई ऐसी शुद्धि नहीं की जाएगी जहां ऐसा स्वामित्व विवादग्रस्त है ।]

4. केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार का पट्टेदार होना—(1) जहां किसी राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कोयला खान के सम्बन्ध में अनुदत्त या अनुदत्त समझे गए किसी खनन पट्टे के अधीन किसी स्वामी के अधिकार, धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाते हैं, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे निहित होने की तारीख से ऐसी कोयला खान के सम्बन्ध में, यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति की पट्टेदार हुई समझी जाएगी मानो ऐसी कोयला खान के [सम्बन्ध में नया खनन पट्टा] केन्द्रीय सरकार को दिया गया था, और ऐसे पट्टे की अवधि ²[वह अधिकतम अवधि होगी] जिसके लिए ऐसा पट्टा राज्य सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा खनिज रियायत नियमों के अधीन दिया जा सकता था और तब ऐसे खनन पट्टे के अधीन सभी अधिकार, जिसके अन्तर्गत पट्टेदार को दिए गए सतह पर के, भू-तल के नीचे के और अन्य अधिकार भी हैं, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पट्टे की अवधि की समाप्ति पर, यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो, उस पट्टे का ³**** पट्टाकर्ता द्वारा उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए ऐसे पट्टे का खनिज रियायत नियमों के अधीन नवीकरण किया जा सकता है, नवीकरण किया जाएगा ।

5. किसी सरकारी कम्पनी में अधिकारों के निहित करने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि सरकारी कम्पनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या उसने उनका अनुपालन कर दिया है तो वह लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि धारा 3 में निर्दिष्ट कोयला खान के सम्बन्ध में स्वामी के अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, सरकारी कम्पनी में, या तो निदेश के प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले की या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पहले की तारीख न हो) जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां किसी कोयला खान के सम्बन्ध में किसी स्वामी के अधिकार, हक और हित उपधारा (1) के अधीन सरकारी कम्पनी में निहित हो जाते हैं वहां वह सरकारी कम्पनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही ऐसी कोयला खान के सम्बन्ध में पट्टेदार समझी जाएगी मानो ऐसी कोयला खान के सम्बन्ध में खनन पट्टा सरकारी कम्पनी को दिया गया था और ऐसे पट्टे की अवधि वह सम्पूर्ण अवधि होगी जिसके लिए ऐसा पट्टा खनिज रियायत नियमों के अधीन दिया जा सकता था, और ऐसी कोयला खान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही उस सरकारी कम्पनी के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

(3) धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्ध ऐसे पट्टे को, जो सरकारी कम्पनी में निहित है, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय सरकार में निहित पट्टे को लागू होते हैं और उसमें केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देशों का अर्थ यह किया जाएगा कि वे उस सरकारी कम्पनी के प्रति निर्देश हैं ।

6. केन्द्रीय सरकार में निहित सम्पत्तियों का बन्धक आदि, से मुक्त होना—(1) वह सभी सम्पत्ति, जो इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित होती है, ऐसे निहित होने के आधार पर, न्यास, बाध्यता, बन्धक, भार, धारणाधिकार और उसको प्रभावित करने वाले अन्य सभी विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएगी और ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी भी रीति से निर्वन्धित करने वाली किसी न्यायालय की कुर्की, व्यादेश या डिक्री या आदेश वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में इस अधिनियम के अधीन निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उतने समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला अन्य व्यक्ति, अनुसूची में ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट रकम में से बन्धक धन या अन्य शोध्य रकम के, पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा, किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार या धारणाधिकार या अन्य हित ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगा जो केन्द्रीय सरकारी कम्पनी में निहित हो गई है ।

¹ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 12 द्वारा लोप किया गया ।

7. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी का पहले के दायित्वों के लिए जिम्मेदार न होना—(1) किसी कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक या प्रबन्धकारी ठेकेदार का नियत दिन से पहले की किसी अवधि की बाबत प्रत्येक दायित्व, यथास्थिति, ऐसे स्वामी, अभिकर्ता, प्रबन्धक या प्रबन्धकारी ठेकेदार का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा न कि केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि—

(क) इस अधिनियम में अन्यत्र जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पहले की किसी अवधि की बाबत किसी कोयला खान के संबंध में, मजदूरी, बोनस, स्वामिस्व, रेट, भाटक, कर, भविष्य-निधि, पेंशन, उपदान या किसी अन्य शोध्य राशि के लिए कोई दावा केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगा ;

(ख) किसी कोयला खान के सम्बन्ध में नियत दिन के पश्चात् किन्तु किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद में, जो उस दिन से पहले पैदा हुआ हो, पारित किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का अधिनियम, डिक्री या आदेश, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगा ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के, नियत दिन के पहले किए गए उल्लंघन के लिए कोई दायित्व केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगा।

अध्याय 3

रकम का संदाय

8. कोयला खानों के स्वामियों को रकम का संदाय—¹[(1)] अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी को केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी कोयला खान या कोयला खान समूह के सम्बन्ध में स्वामी के अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन उसमें निहित होने के लिए, उक्त अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके सामने विनिर्दिष्ट रकम के बराबर रकम नकद रूप में और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से दी जाएगी।

¹[(2)] शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट किसी कोयला खान या कोयला खानों के समूह के सामने उक्त अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में विनिर्दिष्ट और उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके स्वामी को दी जाने के लिए अपेक्षित रकम में वह रकम सम्मिलित समझी जाएगी, और सदैव से सम्मिलित समझी जाएगी, जिसका नियत दिन के ठीक पूर्व की तारीख को धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट स्टॉक में के सब कोयला या अन्य आस्तियों की बाबत ऐसे स्वामी को संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित है और ऐसे कोयला या अन्य आस्तियों की बाबत स्वामी को कोई अतिरिक्त रकम संदेय नहीं होगी।]

9. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के उपबन्धों के भूतलक्षी प्रवर्तन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी को उस रकम के बराबर रकम नकद रूप में दी जाएगी जो रकम, उक्त धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के उपबन्ध यदि न होते तो 1 मई, 1973 को प्रारम्भ होने वाली और उस तारीख को जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) के अधीन किसी स्वामी को, संदेय होती।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी को केन्द्रीय सरकार द्वारा, अनुसूची के पांचवें स्तम्भ की तत्स्थानी प्रविष्टि में ऐसे स्वामी के सामने विनिर्दिष्ट रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, उस तारीख को जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है प्रारम्भ होने वाली और आयुक्त को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रकम का संदाय किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, नकद रूप में दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त होगी।

10. नियत दिन के पश्चात् कोयला खानों के स्वामियों द्वारा प्राप्त आय का केन्द्रीय सरकार को प्रतिदाय—(1) जहां, किसी न्यायालय द्वारा दी गई किसी डिक्री, आदेश या व्यादेश के अनुसरण में, अथवा अन्यथा, केन्द्रीय सरकार या कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक, किसी कोयला खान का प्रबन्ध ग्रहण करने से निवारित कर दिया गया था, वहां ऐसी कोयला खान का स्वामी, उस तारीख से, जिसको कोयला खान का प्रबन्ध, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को दे दिया जाता है, साठ दिन के अन्दर, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से आरम्भ हो कर और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को ऐसा प्रबन्ध दे दिए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के सम्बन्ध में, निम्नलिखित की बाबत लेखा देगा, अर्थात् :—

(क) उक्त अवधि के दौरान कोयला खान की वे आस्तियां या भंडार, जो उसने अर्जित किए हैं या जिनका उसने विक्रय किया है ;

¹ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 13 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित तथा तत्पश्चात् उपधारा (2) अंतःस्थापित।

(ख) उक्त अवधि के दौरान विक्रय किया गया था भेजा गया कोयला ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उस कोयला खान से उसके द्वारा प्राप्त आय ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखाओं की परीक्षा करने पर उस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के दौरान कोयला खान से स्वामी को कोई आय प्राप्त हुई पाई जाती है तो, ऐसी आय, ऐसी कोयला खान के स्वामी को धारा 8 के अधीन संदेय रकम में से केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल की जा सकेगी और केन्द्रीय सरकार को इस मद्धे शोध्य ऋण अप्रतिभूत ऋण के समान होगा ।

(3) यदि किसी कोयला खान के स्वामी द्वारा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई लेखा नहीं दिया जाता है या केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्वामी द्वारा दिए गए लेखे की कोई तात्त्विक विशिष्टियां गलत या मिथ्या हैं, तो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी मामले को आयुक्त को निर्दिष्ट कर सकती है और तब आयुक्त उस कोयला खान से उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान स्वामी द्वारा प्राप्त आय अवधारित करेगा, और धारा 8 के अधीन कोयला खान के स्वामी को संदेय रकम में से उक्त आय को वसूल करने के उपाय करेगा मानो केन्द्रीय सरकार को इस मद्धे शोध्य ऋण अप्रतिभूत ऋण हो ।

(4) किसी कोयला खान या उसकी किसी आस्ति के संबंध में कोई भी बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य विल्लंगम केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी पर आवद्धकर न होगा यदि ऐसा बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य विल्लंगम उस अवधि के दौरान, जिसमें केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक किसी न्यायालय की किसी डिक्री, आदेश या व्यादेश द्वारा या अन्यथा, उक्त कोयला खान का प्रबन्ध ग्रहण करने से निवारित किया गया था, किसी भी समय सृष्ट किया गया था ।

अध्याय 4

कोयला खानों का प्रबन्ध, आदि

11. कोयला खानों का प्रबन्ध आदि—(1) जिस कोयला खान के संबंध में किसी स्वामी के अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसके कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,—

(क) ऐसी कोयला खान की दशा में, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन निदेश किया गया है, उस निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी में निहित होगा ; या

(ख) ऐसी कोयला खान की दशा में जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षकों में निहित होगा,

और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी या इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने का और ऐसी सभी बातें करने का हकदार होगा जिन शक्तियों का प्रयोग करने और जिन बातों को करने के लिए कोयला खान का स्वामी प्राधिकृत है ।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति या सरकारी कम्पनी को ऐसी कोयला खान का अभिरक्षक नियुक्त कर सकती है जिसके बारे में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया है ।

12. कोयला खानों के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियों आदि का परिदान करने का कर्तव्य—(1) किसी कोयला खान के प्रबन्ध के किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने पर या अभिरक्षक की नियुक्ति हो जाने पर, ऐसे निहित होने या नियुक्ति के ठीक पहले ऐसी कोयला खान के प्रबन्ध के भारसाधक सभी व्यक्ति, यथास्थिति, सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक को कोयला खान से संबंधित सभी आस्तियां, लेखा-बहियां, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज जो उनकी अभिरक्षा में हैं, परिदत्त करने के लिए आवद्ध होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश दे सकती है जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझती है और सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक भी, यदि वह चाहे तो, किसी भी समय उस रीति के बारे में जिससे कोयला खान का प्रबन्ध उसके द्वारा संचालित किया जाएगा या किसी ऐसे मामले के बारे में जो ऐसे प्रबन्ध के दौरान उद्भूत हो, केन्द्रीय सरकार को अनुदेशों के लिए आवेदन कर सकता है ।

(3) अभिरक्षक, उस कोयला खान की निधियों में से, जिसके संबंध में वह अभिरक्षक है, उतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जितना केन्द्रीय सरकार नियत करे और केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।

13. लेखे और लेखापरीक्षा— प्रत्येक कोयला खान का अभिरक्षक ऐसी खान के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन लेखे रखेगा जो विहित की जाएं ।

अध्याय 5

कोयला खानों के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

¹[14. किसी कोयला खान के अधिकारी या अन्य कर्मचारी का किसी अन्य कोयला खान को अन्तरण के लिए दायित्व—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी कोयला खान में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाएं किसी अन्य कोयला खान को अंतरित की जा सकेंगी और ऐसे अंतरण से ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।]

15. भविष्य और अन्य निधियां—(1) जहां किसी कोयला खान ने अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवाषिकी, कल्याण या अन्य निधि स्थापित की है वहां, ऐसे कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां ऐसी भविष्य निधि, अधिवाषिकी, कल्याण या अन्य निधि के खाते में, नियत दिन को, जमा धन में से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो जाने वाली धनराशियों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, उस सरकार या कम्पनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए।

16. अधिवाषिकी निधि आदि का ऐसे कर्मचारियों को वितरित किया जाना जिनका नियोजन इस अधिनियम के अधीन समाप्त हो जाता है—जहां किसी कर्मचारी का नियोजन धारा 14 की उपधारा (3) के कारण समाप्त हो जाता है और ऐसा कर्मचारी कोयला खान के स्वामी द्वारा अपने किसी अन्य स्थापन में नियोजित नहीं किया जाता है वहां ऐसा स्वामी उस कर्मचारी की भविष्य निधि में उसके नाम जमा रकम अदा करेगा और साथ ही उसे वे रकमें भी देगा, जो उसे अनुज्ञेय अधिवाषिकी, कल्याण और अन्य फायदों के रूप में उसे शोध्य हैं, मानो उस कर्मचारी ने विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पहले दिन अधिवाषिकी प्राप्त कर ली है या कोयला खान में उसकी सेवा समाप्त हो गई है।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

17. संदाय आयुक्त का नियुक्त किया जाना—(1) प्रत्येक कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी जिसे वह ठीक समझे।

(2) केन्द्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह ठीक समझे और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जा सकता है।

(3) आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और उसी प्रभाव के साथ कर सकता है मानो वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त की गई हैं न कि प्राधिकरण के रूप में।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे।

18. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर, आयुक्त को कोयला खान के स्वामी को संदाय करने के लिए, अनुसूची में उस कोयला खान के सामने विनिर्दिष्ट रकम के बराबर रकम नकद देगी और आयुक्त को वे धनराशियां भी देगी जो कोयला खान के स्वामी को धारा 9 के अधीन शोध्य हो।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के अतिरिक्त, आयुक्त को ऐसी रकम का नकद रूप में संदाय करेगी जो किसी कोयला खान के स्वामी को ²[उस अवधि] के संबंध में शोध्य हो जाए जिसमें कोयला खान का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित रहा है ³[और ऐसी रकम पर 1 जुलाई, 1975 को प्रारम्भ होने वाली और आयुक्त को ऐसी रकम के संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगी।]

(3) केन्द्रीय सरकार आयुक्त के पक्ष में भारतीय लोक लेखा में एक जमाखाता खोलगी, और इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को दी गई प्रत्येक रकम उसके द्वारा भारतीय लोक लेखा में उक्त जमा खाते में जमा की जाएगी, और तत्पश्चात् उक्त जमा खाता आयुक्त द्वारा संचालित किया जाएगा।

¹ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित।

(4) आयुक्त ऐसी प्रत्येक कोयला खान की बाबत, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय किए गए हैं, अलग-अलग अभिलेख रखेगा।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट जमा खाते में जमा रकमों पर उद्भूत होने वाला ब्याज, कोयला खानों के स्वामियों के फायदे के लिए प्रवृत्त होगा।¹[और उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी धनराशि के अतिरिक्त आयुक्त को भी संदेय होगा।]

(6) इस धारा में कोयला खान के स्वामी के प्रति निर्देशों का, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोयला खान समूह के सम्बन्ध में, यह अर्थ किया जाएगा कि वे उस कोयला खान समूह के स्वामी के प्रति निर्देश हैं।

19. केन्द्रीय सरकार, आदि द्वारा प्रबन्ध की अवधि की बाबत लेखाओं के विवरण—(1) केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति, सरकारी कम्पनी प्रत्येक ऐसी कोयला खान से जिसका प्रबन्ध कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) के अधीन उसमें निहित है, संबंधित बहियों को, जैसी कि वे नियत दिन के ठीक पहले की तारीख को थीं, बन्द और सन्तुलित कराएंगी और लेखाओं का, जैसे वे उस दिन को थे, विवरण ऐसी प्रत्येक खान के सम्बन्ध में उन संव्यवहारों की बाबत, जो उसने उस अवधि के दौरान किए थे जब ऐसी कोयला खान का प्रबन्ध उसमें निहित बना रहा, उतने समय के अन्दर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार कराएंगी जो विहित की जाए :

परन्तु जहां दो या अधिक कोयला खानें, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले, एक ही स्वामी के स्वामित्व में थीं वहां, ऐसे स्वामी के स्वामित्व में की सभी कोयला खानों के लिए लेखाओं का एक ही समेकित विवरण तैयार किया जा सकता है।

(2) ऐसे लेखाओं के बन्द किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राप्त सभी रकमों, उस दशा में जिसमें ऐसी रकमों नियत दिन के पहले किए गए संव्यवहारों से सम्बन्धित हैं उस कोयला खान से, जिसकी बाबत, उक्त प्राप्ति हुई है, संबंधित लेखाओं के उक्त विवरण में सम्मिलित की जाएंगी।

(3) केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी, जिसमें उस कोयला खान के अधिकार, हक और हित निहित हो गए हैं, उस कोयला खान को देय धन, जो नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया है, अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए, इस बात के होते हुए भी कि वसूलियां नियत दिन की पूर्ववर्ती अवधि से सम्बन्धित हैं विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार होंगी :

परन्तु जहां ऐसी वसूलियां लेखाओं के, जैसे वे नियत दिन से ठीक पहले दिन थे, विवरण में सम्मिलित नहीं की गई हैं वहां केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो विहित किए जाएं, लेखाओं का एक अनुपूरक विवरण तैयार किया जाएगा और कोयला खान के स्वामी को दिया जाएगा।

²(4) कोयला खान के दायित्व (जो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा दिए गए अग्रिम धन से उत्पन्न होने वाले दायित्व नहीं हैं), जिन्हें नियत दिन तक चुकाया नहीं जा सका है, विनिर्दिष्ट तारीख तक केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात् किए गए आपनों में से या विनिर्दिष्ट तारीख तक दिए गए अग्रिम धन या उधारों में से चुकाए जा सकेंगे और इस प्रकार किया गया प्रत्येक संदाय लेखाओं के, जैसे वे नियत दिन के ठीक पूर्व की तारीख को थे, विवरण में सम्मिलित किया जाएगा और उसमें वह अवधि उपदर्शित की जाएगी जिसके संबंध में संदाय किए गए थे और इस प्रकार किए गए संदाय किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे :

परन्तु नियत दिन से पहले की अवधि के संबंध में वे दायित्व जो विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले नहीं चुकाए गए हैं, कोयला खान के स्वामी के दायित्व होंगे।]

(5) इस धारा के अधीन तैयार किए गए लेखाओं के प्रत्येक विवरण की एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा आयुक्त को और स्वामी को भी दी जाएगी :

परन्तु जहां स्वामियों के संख्या एक से अधिक है वहां लेखाओं के विवरण की केवल एक प्रति सभी स्वामियों के फायदे के लिए उनको दी जाएगी।

(6) इस धारा के अधीन तैयार किए गए लेखाओं के विवरण की ऐसे व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 के अधीन किसी कम्पनी का लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है, और इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षक कोयला खान की निधियों में से उतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जितना केन्द्रीय सरकार नियत करे।

(7) लेखाओं के विवरण की लेखापरीक्षा ऐसी रीति से की जाएगी जिसे केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

³[(8) उपधारा (6) के अधीन संपरीक्षित लेखाओं का विवरण जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, उसमें प्रविष्ट प्रत्येक विषय की बाबत निश्चायक सबूत होगा।

¹ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “लेखाओं का विवरण” से प्राप्तियों और संदायों के रूप में कोई विवरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई विवरण, जो लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र तैयार किए जाने के लिए बहियों के बन्द और संतुलित किए जाने के परिणामस्वरूप तैयार किया जाए या ऐसा कोई विवरण नहीं है, जो सामान्य वाणिज्यिक पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।]

1[19क. कतिपय संग्रहों का विधिमान्यकरण—(1) कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 10 द्वारा यथासंशोधित धारा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन को प्रारम्भ होने वाली और धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा संग्रह किया गया कोई धन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विधिमान्य रूप से संग्रह किया गया समझा जाएगा और ऐसे धन का उपयोजन धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त रूप से संग्रह किया गया कोई धन किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।]

20. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोयला खान के स्वामी के विरुद्ध कोई दावा हो, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर दावा करने से निवारित हो गया था तो वह, तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर दावा ग्रहण कर सकता है, किन्तु इसके पश्चात् नहीं।

²[(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी कोयला खान या कोयला खानों के समूह के स्वामी द्वारा नियोजित व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या किसी अन्य निधि के बारे में दावे, इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों की ओर से कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ग के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त द्वारा फाइल किए जा सकते हैं और किसी अन्य विषय के संबंध में दावे इस प्रकार नियोजित सभी व्यक्तियों द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा या ऐसे व्यक्तियों के समूह की ओर से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ द्वारा या जहां कोई ऐसा दावा किसी व्यवसाय संघ द्वारा फाइल नहीं किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए जा सकते हैं और इस प्रकार किए गए दावे उन व्यक्तियों द्वारा किए गए दावे समझे जाएंगे जो, कोयला खान या कोयला खानों के समूह के स्वामी के विरुद्ध, दावा रखते हैं :]

²[परन्तु कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त या व्यवसाय संघ या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं करेगा जिसने पहले ही उपधारा (1) के अधीन दावा कर दिया है।]

³[(3) जहां कोई ऐसा दावा, जो 31 जनवरी, 1973 को कालवर्जित दावा नहीं था, उपधारा (1) के अधीन उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया गया था और केवल इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि ऐसा दावा कालवर्जित था, वहां ऐसा दावा नामंजूर किया गया नहीं समझा जाएगा और आयुक्त अपनी फाइल पर ऐसे दावे को प्रत्यावर्तित करेगा और उसका धारा 23 में विनिर्दिष्ट रीति से निपटारा करेगा।]

21. भविष्य-निधि, आदि के बकायों के सम्बन्ध में दावों की पूर्विकता—(1) कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति आयुक्त के पास इस आशय का दावा कर सकता है कि कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन काटी गई राशियां—

(क) कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी द्वारा नियोजित व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या किसी अन्य निधि के सम्बन्ध में ; या

(ख) मजदूरी के रूप में,

ऐसी कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी से उस व्यक्ति को उस अधिनियम के अर्थ में नियत दिन को शोध्य बकायों के रकम की पूरी-पूरी प्रतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह कि कमी के बराबर राशि अनुसूची में ऐसी कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी के सामने विनिर्दिष्ट रकम में से वसूल कर ली जाए।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई दावा किया जाता है वहां आयुक्त कमी की रकम अवधारित करेगा और, ऐसे अवधारण के पश्चात्, धारा 8 के अधीन उसे दी गई रकम में से प्रथमतः वह धनराशि काट लेगा जो इस उपधारा के अधीन उसके द्वारा अवधारित कमी की रकम के बराबर हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा काटी गई सभी धरराशियां ऐसे नियमों के अनुसार, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, आयुक्त द्वारा सुसंगत निधि में जमा की जाएंगी अथवा ऐसे व्यक्तियों को दे दी जाएंगी और जिन्हें ऐसी धनराशियां शोध्य

¹ 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

हैं, और इस प्रकार जमा किए जाने अथवा दे दिए जाने पर यथापूर्वोक्त शोध्य बकायों की सभी रकमों की बाबत स्वामी का दायित्व उन्मोचित हो जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा की गई कटौतियों को अन्य सभी ऋणों पर, चाहे वे प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत, पूर्विकता दी जाएगी।

22. अन्य दावों के सम्बन्ध में पूर्विकता—(1) धारा 21 में जैसा उपबन्ध है उसके सिवाय, किसी कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी से शोध्य प्रत्येक प्रतिभूत ऋण को अन्य सभी ऋणों पर पूर्विकता दी जाएगी और वे प्रतिभूत लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार दिए जाएंगे।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अन्य सभी अप्रतिभूत ऋणों पर, जो ऐसी रकम नहीं हैं जो केन्द्रीय सरकार या कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक द्वारा कोयला खान के प्रबन्ध के लिए अग्रिम दी गई हैं, पूर्विकता देते हुए, निम्नलिखित का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार को शोध्य सभी धनराशियां, जिनके अन्तर्गत स्वामिस्व और अनिवार्य भाटक भी हैं ;

(ख) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन कोयला खान के किसी कर्मचारी की मृत्यु या निःशक्त की बाबत किसी प्रतिकर या प्रतिकर के लिए दायित्व के रूप में शोध्य सभी रकमों, जब तक कि बीमाकर्ताओं के साथ की गई किसी संविदा के अधीन जो उक्त अधिनियम की [धारा 14] में उल्लिखित है ऐसी खान को वे अधिकार प्राप्त न हों जो कर्मकार को अन्तरित, और उसमें निहित, किए जा सकते हों ;

(ग) वे सभी धनराशियां जो किसी भविष्य निधि, या कोयला खान के कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में जमा किए जाने के लिए नियोजक द्वारा किसी कर्मकार या अन्य कर्मचारी के वेतन या मजदूरी में से काट ली गई है किन्तु उक्त निधि के खाते में जमा नहीं की गई हैं।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी ऋण आपस में एक समान होंगे और और, यदि आस्तियां उन्हें चुकाने के लिए अपर्याप्त न हों तो, पूरे-पूरे दिए जाएंगे और, यदि आस्तियां अपर्याप्त हों तो, समानुपात में कम कर दिए जाएंगे और तदनुसार दिए जाएंगे।

23. दावों को स्वीकार या अस्वीकार करना—(1) आयुक्त कोई निश्चित तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पहले प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत पेश करेगा या आयुक्त द्वारा किए गए वितरण के फायदे से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) इस प्रकार नियत की गई तारीख की कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के ऐसे दैनिक समाचार-पत्र के एक अंक में और प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचार-पत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आयुक्त को अपने दावे का सबूत पेश करे।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने दावे का सबूत पेश करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए गए वितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक हो और कोयला खान के स्वामी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप में दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले समस्त मामलों में, जिनमें वह या वे स्थान भी सम्मिलित हैं जहां वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, और इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में, वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों की बाबत निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) साक्ष्य के रूप में पेश की जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 195 और अध्याय 35 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

¹ 1978 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[(6क) आयुक्त दावे की प्राप्ति पर—

(क) दावे को स्वयं तय करने का चयन कर सकता है, या

(ख) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति को, दावे को तय करने के लिए अंतरण कर सकता है, या

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति से दावे को वापस ले सकता है और या तो दावे को स्वयं तय कर सकता है या इसके निपटारे के लिए किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को, जो धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, अंतरण कर सकता है।]

(7) ²[कोई दावेदार या स्वामी, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में अपील कर सकता है] जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह कोयला खान स्थित है :

परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां ऐसी अपील उस राज्य के उच्च न्यायालय को की जाएगी जिसमें वह कोयला खान स्थित है, और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी :

¹[परन्तु यह और कि कोई अपील, उस तारीख के पूर्व नहीं की गई है, जिसको कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, ऐसी तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।]

³[23क. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और धारा 12 का लागू होना—परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 5 और धारा 12 के उपबंध धारा 23 के अधीन अपीलों को, जहां तक हो सके, लागू होंगे।]

24. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का वितरण—जहां, प्रतिभूत लेनदारों के और धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन पूर्विकता-प्राप्त अप्रतिभूत लेनदारों के उन दावों की जो आयुक्त द्वारा स्वीकार किए गए हैं, प्रतिपूर्ति के पश्चात् अन्य अप्रतिभूत लेनदारों के दावों की, जो उसके द्वारा स्वीकार किए गए हैं, कुल रकम किसी कोयला खान के खाते में जमा की गई कुल रकम से अधिक न हो, वहां ऐसा प्रत्येक स्वीकृत दावा पूरा-पूरा दिया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, स्वामी को दे दिया जाएगा किन्तु जहां ऐसी रकम स्वीकृत दावों की कुल रकम को पूर्णतः चुकाने के लिए अपर्याप्त है वहां ऐसे सभी दावे समानुपात में कम कर दिए जाएंगे और उनका तदनुसार संदाय किया जाएगा।

⁴[24क. स्वीकार किए गए दावों पर ब्याज—नियत दिन के पूर्व किसी कोयला खान के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन स्वीकार किए गए किसी दावे के संबंध में कोई रकम संदेय है, वहां नियत दिन के पश्चात् किसी अवधि के लिए ऐसी रकम पर संदेय ब्याज ऐसी दर पर संदेय होगा, जो धारा 18 के अधीन आयुक्त द्वारा जमा की गई किसी रकम पर प्रोद्भूत ब्याज की दर से अधिक न हो।]

⁵[25. केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक द्वारा किए गए अधिक संदायों की वसूली—धारा 19 के अधीन तैयार किए गए लेखाओं के विवरण में प्राप्तियों से अधिक संदायों की कोई रकम, ऐसी अवधि के दौरान, जिसमें कोयला खान का प्रबंध केन्द्रीय सरकार में निहित रहता है, ऐसी कोयला खान के प्रबन्ध के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक द्वारा दी गई अग्रिम रकम समझी जाएगी और केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिक संदाय के लिए आयुक्त को दावा कर सकेगी और ऐसे दावे को कोयला खान के सभी अन्य अप्रतिभूत लेनदारों के, जिनके अंतर्गत धारा 22 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अप्रतिभूत लेनदार भी हैं दावों पर पूर्विकता दी जाएगी।]

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “अभिरक्षक” से कोयला खान (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक अभिप्रेत है।]

⁶[25क. कोयला खान के स्वामियों और प्रबन्धकारी ठेकेदारों, आदि को सूचना—(1) उन व्यक्तियों के दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् जिनके दावे इस अधिनियम के अधीन स्वीकार किए गए हैं, आयुक्त अपने पास उपलब्ध रकम को ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसी अधिसूचना में उस तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिस तक कोयला खानों के स्वामी, प्रबन्धकारी ठेकेदार और किसी ऐसी मशीनरी, उपस्कर या ऐसी अन्य संपत्ति के स्वामी जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी में निहित हो गई है और जो कोयला खानों के स्वामियों की नहीं है, संदाय के लिए आवेदन कर सकेंगे।]

(2) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन किया गया है, वहां आयुक्त ऐसी सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग को प्राप्त करने वाले आवेदक के अधिकार के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति को रकम का संदाय करेगा और सम्पूर्ण

¹ 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित।

रकम या उसका कोई भाग प्राप्त करने के संबंध में उस व्यक्ति के अधिकार के बारे में कोई शंका या विवाद होने की दशा में आयुक्त धारा 26 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से आवेदन के संबंध में कार्यवाही करेगा।]

26. कोयला खानों के स्वामियों को रकमों का वितरण—(1) यदि अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट किसी कोयला खान या कोयला खान समूह के संबंध में आयुक्त को दिए गए धन में से, सभी प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के दायित्वों को पूरा करने के पश्चात्, कोई अतिशेष रह जाता है तो वह उसे ऐसी कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी को वितरित कर देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कोयला खान या कोयला खान समूह के स्वामी को कोई संदाय करने से पूर्व आयुक्त ऐसी पूरी-पूरी रकम या उसके किसी भाग को प्राप्त करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार के बारे में अपना समाधान करेगा और यदि धारा 8 और धारा 9 में निर्दिष्ट पूरी-पूरी रकम या उसका कोई भाग प्राप्त करने के संबंध में उस व्यक्ति के अधिकार के बारे में कोई शंका या विवाद है तो, मामला न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा और वितरण न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार करेगा।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची के चौथे स्तम्भ की प्रविष्टियां अनुसूची के दूसरे स्तम्भ की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट कोयला खान के संबंध में किसी व्यक्ति के अधिकार, हक और हित के बारे में निश्चयायक नहीं समझी जाएंगी और ऐसी कोयला खान के संबंध में किसी व्यक्ति का अधिकार, हक और हित स्थापित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य होगा।

(4) किसी कोयला खान के संबंध में, जिसकी संक्रियाएं, कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) के अधीन ऐसी कोयला खान के प्रबन्ध-ग्रहण के ठीक पहले प्रबन्धकारी ठेकेदार के नियंत्रणाधीन थीं अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में ऐसी कोयला खान के सामने विनिर्दिष्ट रकम उस कोयला खान के स्वामी और ऐसे प्रबन्धकारी ठेकेदार के बीच ऐसे अनुपातों में, जिन पर स्वामी और ऐसे प्रबन्धकारी ठेकेदार द्वारा या उनके बीच करार हो जाए और ऐसा करार न होने की दशा में, ऐसे अनुपातों में, जिसे न्यायालय, आयुक्त द्वारा उसे किए गए निर्देश पर, अवधारित करे, प्रभाजित की जाएगी।

(5) जहां कोयला खान की कोई मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में या किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो गई है किन्तु ऐसी मशीनरी उपस्कर या अन्य सम्पत्ति ऐसी कोयला खान के स्वामी की नहीं है वहां, अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में ऐसी कोयला खान के सामने विनिर्दिष्ट रकम न्यायालय को आयुक्त द्वारा किए गए निर्देश पर, न्यायालय द्वारा ऐसी कोयला खान के स्वामी और ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति के स्वामी के बीच, ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति का नियत दिन को जो मूल्य था उसका सम्यक् ध्यान रखते हुए, प्रभाजित की जाएगी।

¹[(6) जहां अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में विनिर्दिष्ट रकम कोयला खानों के किसी समूह से संबंधित है वहां आयुक्त को ऐसे समूह के स्वामियों के बीच ऐसी रकम का प्रभाजन करने की शक्ति होगी और ऐसा प्रभाजन करने में, आयुक्त नियत दिन के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान कोयला खान के उच्चतम वार्षिक उत्पादन को ध्यान में रखेगा।]

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “न्यायालय” से किसी कोयला खान के संबंध में आरम्भिक अधिकारिता वाला वह प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह कोयला खान स्थित है।

²[**27. अवितरित या अदावाकृत रकमों का साधारण राजस्व खाते में जमा किया जाना—**आयुक्त को संदत्त कोई धन जो उस अन्तिम दिन से, जिसको वितरण के लिए अन्तिम आदेश किया गया था, तीन वर्ष की अवधि तक अवितरित या अदावाकृत रहता है, आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अन्तरित किया जाएगा; किन्तु इस प्रकार अन्तरित किए गए किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और उसका इस प्रकार निपटारा किया जाएगा मानो ऐसा अन्तरण नहीं हुआ था और दावे के संदाय के लिए आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के आदेश के रूप में माना जाएगा।]

अध्याय 7

प्रकीर्ण

28. इस अधिनियम का अन्य विधियों पर प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

29. संविदाओं का प्रभावी न रहना जब तक कि सरकार द्वारा उनका अनुसमर्थन न कर दिया जाए—(1) किसी कोयला खान के स्वामी या अधिष्ठाता द्वारा नियत दिन से ठीक पूर्व किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई प्रत्येक संविदा जो नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, नियत दिन से एक सौ बीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी जब तक कि ऐसी संविदा उस अवधि की समाप्ति के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में अनुसमर्थित नहीं कर दी जाती, और ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में केन्द्रीय सरकार उसमें ऐसे परिवर्तन या उपान्तर कर सकती है जैसे वह ठीक समझे :

¹ 1986 के अधिनियम सं० 57 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी संविदा का अनुसमर्थन करने से तब तक इंकार नहीं करेगी जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या दुर्भाव से की गई है या कोयला खान के हितों के लिए अहितकर है।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार या उसमें परिवर्तन या उपान्तर, उस संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने के अपने कारणों को लेखबद्ध किए बिना, नहीं करेगी।

30. शास्तियां—¹[(1)] जो कोई व्यक्ति,—

(क) ऐसी किसी कोयला खान के जो अनुसूची में निर्दिष्ट है उपक्रम की भागरूप जो सम्पत्ति उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है उस सम्पत्ति को केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) ऐसी किसी कोयला खान के जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे प्रतिधारित करेगा, या ऐसी कोयला खान से संबंधित कोई दस्तावेज, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार से या उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से जानबूझकर विधारित करेगा या केन्द्रीय सरकार को या उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को देने में असफल रहेगा या ऐसी कोयला खान से जिसकी बाबत अभिरक्षक नियुक्त किया गया है, संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों को जो उसकी अभिरक्षा में हैं अभिरक्षक को देने में असफल रहेगा ;

(ग) किसी कोयला खान की किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा या इस अधिनियम के अधीन ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह मिथ्या है या बिल्कुल गलत है,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

¹[(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग से, जिसके बारे में कोई विधिमान्य पूर्वक्षण-अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा या उपपट्टा प्रवर्तन में नहीं है, कोयला निकालने या उसके खनन में लगेगा या किसी अन्य व्यक्ति को लगाएगा, वह ²[कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।]

31. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

32. खनन कम्पनियों का न्यायालय द्वारा परिसमापन न किया जाना—किसी ऐसी खनन कम्पनी के परिसमापन के लिए, जिसके स्वामित्व में की कोयला खान से सम्बन्धित अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गए हैं, अथवा उस कम्पनी के कारबार की बाबत रिसीवर की नियुक्ति के लिए कोई भी कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना किसी न्यायालय में नहीं होगी।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 67 की धारा 4 द्वारा पुनःसंख्यांकित और तत्पश्चात् उपधारा अन्तःस्थापित।

² 1978 के अधिनियम सं० 22 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

33. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किया जा सकता है।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाता है तब, वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

34. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिससे सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक द्वारा कोयला खान का प्रबन्ध किया जाएगा ;

(ख) वह रीति, जिससे धारा 15 में निर्दिष्ट भविष्य या अन्य निधि में की धन राशियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी ;

(ग) वह प्ररूप और वह रीति, जिससे धारा 19 में निर्दिष्ट लेखाओं का विवरण तैयार किया जाएगा ;

(घ) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है, या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

35. कठिनाइयां करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकती है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

अनुसूची
[धाराएं 3, 8 और 18 देखिए]

क्रम सं०	खान का नाम	खान का अवस्थान	खाने के स्वामियों के नाम और पते	रकम (रुपयों में)
1	2	3	4	5
आसाम				
जेपुर कोयला क्षेत्र				
1.	बिमलपुर	डाकघर सिबसागर	बिमलपुर कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर सिबसागर	4,000
2.	डिली	डाकघर बनहाट सिबसागर	डिली कोलियरीज एसोसिएशन लिमिटेड, डाकघर तिनसुकिया	4,000
3.	जेपुर	डाकघर नामरूप	जेपुर कोलियरीज प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर नामरूप	75,000
माकुम कोयला क्षेत्र, लखीमपुर				
4.	बारागोलाइ	डाकघर बारागोलाइ	आसाम रेलवेज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड मार्घेरिटा	*48,84,000
5.	लिडो	डाकघर लिडो	आसाम रेलवेज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, मार्घेरिटा	रकम, क्रम सं० 4 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
6.	नामडांग	डाकघर बारागोलाइ	आसाम रेलवेज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, मार्घेरिटा	4,000
7.	टिपंग	डाकघर लिडो	आसाम रेलवेज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, मार्घेरिटा	रकम, क्रम सं० 4 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
मिकिर कोयला क्षेत्र				
8.	कोयलाजान	डाकघर कोयलाजान	कोयलाजान कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर दीमापुर, नागा हिल्स	38,000
9.	सीलवाटा	डाकघर डिफु, जिला मिकिर हिल्स	हीरा पड्डा दीपाली दत्त, शिलांग	4,000
बिहार				
डाल्टनगंज हुटार कोयला क्षेत्र, पलामू				
10.	हुटार	डाकघर हुटार कोलियरी	सोन बैली पौर्टलैण्ड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, डाकघर जापला, पलामू	2,98,000
11.	जगलडागा	डाकघर लतेहार, पलामू	श्री एस० के० दत्त, 23/पी०/1ए०, मानिकताला मेन रोड, कलकत्ता-54	4,000

* इस रकम में क्रम सं० 5 और 7 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
12.	रजहरा	डाकघर रजहरा कोलियरी	रामसरण दास एण्ड ब्रदर्स, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	6,67,000
ईस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र, हजारीबाग				
13.	ईस्ट बोकारो	डाकघर पिचरी	ईस्ट बोकारो कोलियरीज कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर पिचरी	15,000
14.	न्यू सेलेक्टेड ढोरी	डाकघर बेरमो	गोपाल एन० सिंह, कृष्ण एन० सिंह, गोविन्द एन० सिंह, श्याम एन० सिंह, गिरधर एन० सिंह	4,80,000
नामनिर्देशित स्वामी				
श्री भुनेश्वर गोस्वामी, डाकघर बेरमो, हजारीबाग				
15.	प्यौर ढोरी	डाकघर तंत्री	प्यौर ढोरी कोलियरी कम्पनी, डाकघर तंत्री, हजारीबाग	29,200
16.	सेलेक्टेड करगाली	डाकघर पिचरी	वेदनजी जे० दवे, डाकघर बाक्स 8, झरिया	1,73,000
हुरा कोयला क्षेत्र (संथाल परगना)				
17.	हुरा ब्लॉक 1ए	फुलबेरिया, डाकघर महगामा	आइडियल माइनिंग कम्बाइन, डाकघर महगामा, जिला संथाल परगना	5,000
18.	हुरा ब्लॉक 1बी	डाकघर महगामा	द्वारका प्रसाद मारवाड़ी, डाकघर महगामा, जिला संथाल परगना	4,000
19.	बेरगो	डाकघर देनरो (संथाल परगना)	खुदीराम सील, डाकघर देनरो (संथाल परगना)	4,000
20.	चुरी जिलवाड़ी	डाकघर गोड्डा	फूलचन्द्र राम, डाकघर गोड्डा (संथाल परगना)	4,000
21.	लालमटिया	डाकघर महगामा	मैसर्स एस० पी० कोल एन्टरप्राइजेज, डाकघर महगामा, जिला संथाल परगना	18,000
22.	पहाड़पुर	डाकघर महगामा	एस० पी० कोल एन्टरप्राइजेज, डाकघर महगामा, संथाल परगना	7,000
23.	पाल्स चिलगो	डाकघर अमरापारा (संथाल परगना)	पाल ब्रदर्स, डाकघर जामताड़ा (संथाल परगना)	4,000
24.	सिमलांग	डाकघर धमनी	एच० एन० भागर, डाकघर बढैत (संथाल परगना)	4,000
जयन्ती कोयला क्षेत्र (संथाल परगना)				
25.	भवानीपुर	डाकघर चित्रा	सिद्धेश्वरी प्रसाद, एन० देव, डाकघर चित्रा	13,000
26.	सेन्ट्रल सहरपुरी	डाकघर चित्रा	एम० एन० सिंह और एस० एस० सिंह, डाकघर चित्रा (संथाल परगना)	15,000

1	2	3	4	5
27.	चटकम	डाकघर धमनी (संथाल परगना)	एच० एन० भगत, डाकघर बढैत (संथाल परगना)	4,000
28.	चित्रा सेन्ट्रल	डाकघर चित्रा	बी० एन० मन्डल एन्ड कम्पनी, डाकघर चित्रा (संथाल परगना)	7,000
29.	ईस्ट दामागोरा	डाकघर कुकराहा	आर० एन० सिंह, डाकघर सरोथ	15,000
30.	गंधर्व	—	श्री टिबरीवाल, डाकघर देवघर	4,000
31.	गिरिजा	डाकघर चित्रा	श्री एम० के० सिंह, डाकघर चित्रा (संथाल परगना)	4,000
32.	हरिपुर	डाकघर महगामा	पुरुषोत्तम दास, डाकघर महगामा (संथाल परगना)	4,000
33.	हरिनसिंघा (कोल पिट)	ग्राम और डाकघर दुमका (संथाल परगना)	विश्वनाथ हिम्मत सिंह, ग्राम और डाकघर दुमका (संथाल परगना)	4,000
34.	जयंती सेंट्रल	—	श्री ओ० पी० संथालिया, 16, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1	54,000
35.	जयंती खास	—	श्री सालिगराम प्रसाद सिंह, डाकघर मधुपुर	4,000
36.	जिलवाडी नं० 7	—	जगन्नाथ प्रसाद भगत, डाकघर सरौनरी	4,000
37.	मंडल दामगोरा ईस्ट सेक्शन	डाकघर चित्रा (संथाल परगना)	सी० सी० मन्डल, डाकघर दिशेरगढ़, बर्दवान	15,000
38.	मंड दामगोरा वेस्ट	डाकघर चित्रा (संथाल परगना)	ए० के० भादुडी, डाकघर चित्रा (संथाल परगना)	4,000
39.	नार्थ सहरजुरी	—	श्री ए० पी० सिंह एण्ड ब्रदर्स, डाकघर कुकराहा	7,000
40.	पत्रिका	डाकघर चित्रा	श्री एन० के० सिंह, डाकघर चित्रा (संथाल परगना)	6,000
41.	फुलवेरिया	—	श्री एम० पी० मारवाडी, डाकघर महजमा	5,000
42.	सहरजुरी डाकघर कुकराहा	डाकघर कुकराहा	एम० जी० मिश्र, डाकघर कुकराहा	17,000
43.	ताराबाद बूटवाडी	डाकघर टी० के० ग्राम	श्री दुर्गा जामजुरी कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर बराकर, जिला बर्दवान	4,000
44.	तुलसी डबोर	डाकघर चित्रा	नलिनी कुमार सिंह, डाकघर चित्रा (संथाल परगना)	19,000
झरिया कोयला क्षेत्र				
45.	अग्रवाल गोधुर	डाकघर कुसुन्डा	अग्रवाल गोधुर कोल कम्पनी, डाकघर कुसुन्डा, धनबाद	95,000
46.	बारामेसिया सीकरीचक	डाकघर टुन्डू	ठाकुर रामअवतार सिंह, डाकघर टुन्डू, धनबाद	49,000
47.	बहेराबेडा चक	डाकघर टुन्डू	ठाकुर गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह, डाकघर टुन्डू, धनबाद	45,000

1	2	3	4	5
48.	बरवाबेड़ा	डाकघर नावागढ़	बी० त्रिगुनाइ एण्ड ब्रदर्स, डाकघर नावागढ़, धनबाद	73,000
49.	बरोरा	डाकघर नावागढ़	बरोरा कोल कन्सर्न, डाकघर नावागढ़, धनबाद	4,26,000
50.	बस्ताकोला	डाकघर धनसार	बस्ताकोला कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर धनसार, धनबाद	23,32,000
51.	वासुदेव 'ए' (नारायण सीम)	डाकघर खास जीनागोड़ा	ए० बी० जगदत्त एण्ड कम्पनी, झरिया	9,000
52.	बेरा कोलियरी	डाकघर झरिया	बेरा कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया	12,28,000
53.	ब्राइट कुसुन्डा	डाकघर धनसार	ब्राइट कुसुन्डा कोलियरी कम्पनी, डाकघर धनसार, धनबाद	4,000
54.	ब्राइट टसरा	डाकघर सिन्द्री	सेठ झाड़ू मल, डाकघर सिन्द्री, धनबाद	18,000
55.	वासुदेव 'ए'	डाकघर खास जीनागोड़ा	आर० बी० जगदत्त एण्ड कम्पनी, झरिया	17,000
56.	बनर्जीज दोबारी	डाकघर झरिया	एस० बी० बनर्जी एण्ड सन्स, डाकघर झरिया	4,000
57.	सेंट्रल गणेशपुर	डाकघर नावागढ़	श्यामलाल सुन्डा एण्ड कम्पनी, डाकघर नावागढ़, धनबाद	41,000
58.	सेंट्रल केन्दवाडीह	डाकघर नावागढ़	नरसिंह हारजी, डाकघर नावागढ़, धनबाद	2,88,000
59.	सेंट्रल केसुरगढ़	डाकघर नावागढ़	भैरोबक्स अग्रवाल, डाकघर नावागढ़, धनबाद	80,000
60.	सेंट्रल बैहरडीह	डाकघर कतरासगढ़	के० के० चन्द्र एण्ड ब्रदर्स, डाकघर कतरासगढ़	27,000
61.	सेंट्रल सिनीडीह	डाकघर टुन्डू	श्रीमती मंजूला देवी, डाकघर टुन्डू	4,000
62.	सेंट्रल गोलकडीह	डाकघर झरिया	श्रीमती ज्योत्सना देवी, 'नीलाचल', डाकघर सीतारामपुर, बर्दवान	44,000
63.	सेंट्रल दोबारी	डाकघर झरिया	श्रीमती जयन्ती देवी, डाकघर झरिया, धनबाद	42,000
64.	सेंट्रल केशलपुर	डाकघर कतरासगढ़	मूलजी एन० चोलिया, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	1,01,000
65.	सेंट्रल गोधुर	डाकघर कुसुन्डा	सेंट्रल गोधुर कोलियरी कम्पनीज, डाकघर कुसुन्डा, धनबाद	42,000
66.	सेंट्रल जयरामडीह	डाकघर नावागढ़	पाल ब्रदर्स, डाकघर नावागढ़, धनबाद	49,000
67.	सेंट्रल टसरा	डाकघर सिन्द्री	सेंट्रल टसरा कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	52,000
68.	सेंट्रल अंगारपथरा	डाकघर सिजुआ	सेंट्रल अंगारपथरा कोलियरी कम्पनी, डाकघर सिजुआ, धनबाद	99,000

1	2	3	4	5
69.	सेंट्रल बांसजोड़	डाकघर सिजुआ	खास सिजुआ कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, झरिया, धनबाद	1,13,000
70.	चन्दोर	डाकघर कतरासगढ़	आर० एस० सिंह एंड अदर्स, डाकघर कतरासगढ़	67,000
71.	चन्दोर	डाकघर सिजुआ	डी० पी० अग्रवाल, झरिया, धनबाद	16,000
72.	सेंट्रल सुलुंगा	डाकघर खास जीनागोड़ा	पुरुषोत्तम कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	4,98,000
73.	सेंट्रल चन्दोर	—	श्रीमती ज्योत्सना देवी, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
74.	डमरा खास	डाकघर नावागढ़	शेख ब्रदर्स एन्ड कम्पनी, डाकघर नावागढ़, धनबाद	56,000
75.	डमरा पिनलगोरिया	डाकघर नावागढ़	लाला माहिन्दर पाल, डाकघर नावागढ़, धनबाद	35,000
76.	डायमन्ड फुलारीटांड	डाकघर खरखरी	श्यामा कोल कम्पनी डाकघर, खरखरी	63,000
77.	धनसार	डाकघर धनसार	प्यौर धनसार कोल कम्पनी, डाकघर धनसार, धनबाद	3,18,000
78.	धनसार, एन० बी० एच०	डाकघर धनसार	धनसार कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर धनसार, धनबाद	2,84,000
79.	ईस्ट बेनीडीह	डाकघर नावागढ़	ईस्ट बंगाल कोल कन्सर्न (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर नावागढ़, धनबाद	1,09,000
80.	ईस्ट धर्माबन्द	डाकघर नावागढ़	ईस्ट धर्माबन्द कोलियरी कम्पनी, डाकघर, नावागढ़, धनबाद	22,000
81.	ईस्ट खास बैहरडीह	डाकघर टुन्डू	ईस्ट खास बैहरडीह कोल कम्पनी, डाकघर टुन्डू	1,00,000
82.	ईस्ट मान्ड्रा	डाकघर नावागढ़	भारत कोल कम्पनी, डाकघर नावागढ़, धनबाद	55,000
83.	ईस्ट बस्ताकोला	डाकघर धनसार	ईस्ट बास्ताकोला कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	1,32,000
84.	ईस्ट बुसेरिया	डाकघर कुसुन्डा	ईस्ट बुसेरिया कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, शान्ति भवन, धनबाद	10,08,000
85.	ईस्ट सिनीडीह	डाकघर टुन्डू	पी० चंचानी एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर टुन्डू	60,000
86.	ईस्ट कुजामा	डाकघर झरिया	ईस्ट कुजामा कोलियरी कम्पनी, डाकघर सिजुआ, धनबाद	43,000
87.	ईस्ट केशलपुर	डाकघर कतरासगढ़	श्री बैजनाथ चौधरी एण्ड अदर्स, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	40,000

1	2	3	4	5
88.	ईस्ट केन्दवाडीह	डाकघर धनसार	ईस्ट केन्दवाडीह कोल कम्पनी लिमिटेड, कुसुन्डा	43,000
89.	ईस्ट लोहाबत्ती	डाकघर रामनगरगढ़	ईस्ट मुरलीडीह कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	1,48,000
90.	ईस्ट तेतुलमारी	डाकघर सिजुआ	ईस्ट तेतुलमारी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, सिजुआ	4,000
91.	ईस्ट मूरलीडीह	डाकघर मोहुदा	पी० के० लाला, डाकघर खरखरी, जिला धनबाद	4,000
92.	ईस्ट गोधर	डाकघर कुसुन्डा	ईस्ट गोधर कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर धनबाद	4,000
93.	गोल्डन जीनागोडा	डाकघर खास जीनागोडा	सलुंगा कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर धनबाद	7,64,000
94.	घुटवे	डाकघर करमाटांड	घुटवे कोलियरी कम्पनी, दुगदा, जिला हजारीबाग	4,000
95.	गोल्डन सिनीडीह	डाकघर टुन्डू	हित नारायण सिंह, डाकघर टुन्डू, धनबाद	9,000
96.	आइडियल केशलपुर	डाकघर कतरासगढ़	आइडियल केशलपुर कोलियरी कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़	39,000
97.	जोगीडीह	डाकघर टुन्डू	पी० के० लाला एण्ड ब्रदर्स, डाकघर टुन्डू, धनबाद	68,000
98.	जयरामडीह	डाकघर नुदखुरकी	जयरामडीह कोल कम्पनी, डाकघर नुदखुरकी, धनबाद	*2,42,000
99.	केन्दवाडीह (मंडल)	डाकघर नावागढ़	बी० एन० मंडल एंड कम्पनी, डाकघर नावागढ़, धनबाद	55,000
100.	खास मुरैडीह	डाकघर टुन्डू	यू० एन० लाला, डाकघर टुन्डू, धनबाद	4,000
101.	खास सिनीडीह	डाकघर नावागढ़	ज्ञान चन्द सुन्डा एण्ड कम्पनी, झरिया	75,000
102.	खोडो वैली	डाकघर नावागढ़	जीवनलाल सुन्डा, जोडा फाटक, धनबाद	60,000
103.	खास बांसजोड़	डाकघर बांसजोड़	खास बांसजोड़ कोलियरी कम्पनी, डाकघर बांसजोड़, धनबाद	1,70,000
104.	खास बैहरडीह	डाकघर टुन्डू	खास बैहरडीह कोल कम्पनी, डाकघर टुन्डू	33,000
105.	कतरास न्यू	डाकघर कतरासगढ़	श्रीमती कासीबाई, डाकघर कतरासगढ़	96,000
106.	कुआ एण्ड खास कुआ	डाकघर झरिया	कुआ कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	4,33,000

1	2	3	4	5
107.	खास कतरासगढ़	डाकघर कतरासगढ़	मुस्तफी एण्ड कम्पनी, डाकघर कतरास बाजार, धनबाद	20,000
108.	खास गोधुर	डाकघर कुसुन्डा	खास गोधुर कोल कम्पनी, डाकघर कुसुन्डा	48,000
109.	खास कुसुन्डा	डाकघर कुसुन्डा	खास कुसुन्डा कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 40, स्ट्रेन्ड रोड, कलकत्ता-1	3,25,000
110.	करमाटांड	डाकघर करमाटांड	श्री राम कोल कम्पनी, डाकघर करमाटांड	1,63,000
111.	खास जयरामडीह	डाकघर नावागढ़	खास जयरामडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर नावागढ़, धनबाद	*1,12,000
112.	खास माटीगोडा	डाकघर नुदखुरकी	खास माटीगोडा कोलियरी कम्पनी, डाकघर नुदखुरकी, धनबाद	4,000
113.	कालिस्थान अंगारपथरा	डाकघर कतरासगढ़	कालिस्थान अंगारपथरा कोल कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	43,000
114.	खास सिजुआ	डाकघर सिजुआ	खास सिजुआ कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	5,42,000
115.	खास कान्द्रा	डाकघर सिन्दरी	नसीब सिंह, गठित अटर्नी (स्वामी शुक्ला, चन्द्र प्रभा देवी एण्ड सन्ज, डाकघर सिन्दरी)	4,000
116.	खास पान्डेडीह	डाकघर सिजुआ	दि खास पान्डेडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर सिजुआ, धनबाद	4,000
117.	केशलपुर	डाकघर कतरासगढ़	शिव शंकर भोले, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
118.	लिबर्टी	डाकघर झरिया	अग्रवाल माइनिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	1,18,000
119.	लक्ष्मी सालनपुर	डाकघर कतरासगढ़	एन० बी० सिंह एण्ड कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	4,000
120.	मान्ड्रा साउथ बरोरा	डाकघर कतरासगढ़	विजय नारायण सिंह एण्ड जगदेव प्रसाद सिंह, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	35,000
121.	माडल मुरैडीह	डाकघर नावागढ़	आर० के० पाण्डे, डाकघर नावागढ़, धनबाद	6,000
122.	मनईटांड	डाकघर धनबाद	मनईटांड कोलियरी कम्पनी, डाकघर धनसार, धनबाद	1,11,000
123.	मझलीटांड	डाकघर टुन्डू	श्री प्रीतीश लाला, डाकघर टुन्डू	51,000
124.	माडल जयरामडीह	डाकघर नावागढ़	पाल ब्रदर्स, डाकघर नावागढ़, धनबाद	4,000

* इस रकम में क्रम सं० 148 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
125.	माडल अंगारपथरा	डाकघर सिजुआ	बी० एल० अग्रवाल, डाकघर गोविंदपुर, धनबाद	1,10,000
126.	माडर्न सुदामडीह	डाकघर पथरडीह	माडर्न सुदाम डीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर पथरडीह, धनबाद	4,000
127.	न्यू केन्दवाडीह	डाकघर नावागढ	के० पी० लाल एण्ड सन्स, डाकघर नावागढ, धनबाद	49,000
128.	न्यू मुरैडीह	डाकघर खरखरी	मेसर्स कमलेन्दु एण्ड शुभेन्दु बनर्जी, 420, श्यामपुकर स्ट्रीट, कलकत्ता-9	4,000
129.	नार्थ एण्ड खास मुरैडीह	डाकघर नावागढ	कालूराम हेलीवाल, डाकघर नावागढ, धनबाद	4,000
130.	नार्थ बारोमेसिया	डाकघर टुन्डू	नार्थ बारोमेसिया कोल कम्पनी, डाकघर धनसार, धनबाद	60,000
131.	नार्थ टुन्डू खास	डाकघर कतरासगढ	आर० एल० अग्रवाल, डाकघर कतरासगढ	4,000
132.	नार्थ भगतडीह	डाकघर धनसार	श्रीमती नर्मदा बाला गुप्ता, श्री दीनानाथ अग्रवाल एंड बंसदो प्रसाद अंग्रवाल, डाकघर झरिया, धनबाद	1,29,000
133.	निचितपुर	डाकघर बांसजोड	निचितपुर कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 7, मनोहर पुकुर रोड, कलकत्ता-26	3, 03,000
134.	नार्थ सिनिडीह	डाकघर टुन्डू	शंकार लाल केजरी लाल, डाकघर झरिया, धनबाद	1,65,000
135.	न्यू गोलकडीह	डाकघर गोविन्दपुर	विश्वानाथ अग्रवाल, डाकघर गोविन्दपुर, धनबाद	14,000
136.	नार्थ गोलकडीह	डाकघर बलियापुर	किशनलाल राजेलाल, डाकघर बलियापुर, धनबाद	1,41,000
137.	नारायणपुर	डाकघर कतरासगढ	श्रीमती नारायणी देवी, डाकघर कतरासगढ	1,38,000
138.	नार्थ आकाशकिनारी	डाकघर कतरासगढ	खीमजी डोसा एण्ड कम्पनी, डाकघर कतरासगढ, धनबाद	2,17,000
139.	नार्थ धर्माबन्द	डाकघर कतरासगढ	कुंवरजी कल्याणजी, डाकघर कतरासगढ, धनबाद	44,000
140.	नार्थ तेंतुलिया	डाकघर कतरासगढ	देबराम रामजी, डाकघर कतरासगढ	3,26,000
141.	नार्थ दोबारी	डाकघर झरिया	सहाना कोल कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	1,44,000
142.	नार्थ एण्ड वेस्ट घनुआडीह	डाकघर झरिया	नार्थ एण्ड वेस्ट घनुआडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	6,64,000
143.	न्यू कतरास	डाकघर कतरासगढ	न्यू कतरास कोल कम्पनी, डाकघर कतरासगढ, धनबाद	41,000
144.	न्यू सालनपुर	डाकघर कतरासगढ	मधु लछ्मन एण्ड सन्स, डाकघर कतरासगढ	6,000

1	2	3	4	5
145.	नार्थ केशलपुर	डाकघर कतरासगढ़	नार्थ केशलपुर कोयलिरि कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	12,35,000
146.	नार्थ गोधुर	डाकघर कुसुन्डा	नार्थ गोधुर कोलियरी कम्पनी, डाकघर कुसुन्डा, धनबाद	4,000
147.	नार्थ लोयाबाद	डाकघर बांसजोड़	नार्थ लोयाबाद कोल कम्पनी, डाकघर बांसजोड़, धनबाद	3,89,000
148.	नार्थ केसूरगढ़	डाकघर नुदखुरकी	नन्दलाल शाह एण्ड ब्रदर्स, डाकघर नावागढ़	रकम, क्रस सं० 111 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
149.	नुदखुरकी	डाकघर नुदखुरकी	एम० बी० राय एण्ड ब्रदर्स, डाकघर नुदखुरकी, धनबाद	3,57,000
150.	नेशनल टसरा	डाकघर सिन्दरी	कैलाश राम खन्ना, डाकघर सिन्दरी, धनबाद	13,000
151.	न्यू अंगारपथरा	डाकघर कतरासगढ़	न्यू अंगारपथरा कोलियरी कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़	1,08,000
152.	न्यू पाण्डेडीह	डाकघर सिजुआ	न्यू पाण्डेडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया	10,000
153.	नार्थ एण्ड नार्थ-ईस्ट अंगारपथरा	डाकघर कतरासगढ़	नार्थ अंगारपथरा कोल कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	72,000
154.	नार्थ तेतुलमारी	डाकघर सिजुआ	नार्थ तेतुलमारी कोलियरी कम्पनी, डाकघर सिजुआ, धनबाद	8,89,000
155.	न्यू बुसेरिया	डाकघर बांसजोड़	न्यू बांसजोड़ कोल कम्पनी, डाकघर सिजुआ, धनबाद	11,000
156.	न्यू जयरामडीह	डाकघर नुदखुरकी	अजीत कुमार चन्दा, डाकघर नुदखुरकी	रकम, क्रम सं० 98 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
157.	नार्थ गोंदूडीह	डाकघर कुसुन्डा	नार्थ गोंदूडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर कुसुन्डा	4,000
158.	न्यू आकलैंड कोलियरी	डाकघर नुदखुरकी	श्री शंकर सेन, डाकघर नुदखुरकी, धनबाद	4,000
159.	न्यू दोबारी	डाकघर झरिया	न्यू दोबारी कोल कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
160.	न्यू फुलारीयाटांड	डाकघर नावागढ़	न्यू फुलारीयाटांड कोलियरी कम्पनी, डाकघर नावागढ़, धनबाद	4,000
161.	न्यू कुनजी	डाकघर मोहुदा	श्रीमती बी० कौल, टावर हाउस, धनबाद	4,000
162.	न्यू टसरा	डाकघर सिन्दरी	न्यू टसरा कोल कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
163.	प्यौर बरोरा	डाकघर नावागढ़	एन० सहाय, डाकघर नावागढ़, धनबाद	1,60,000

1	2	3	4	5
164.	प्यौर बेनीडीह	डाकघर नावागढ़	दोआबा कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, सुन्डा हाउस, जोड़ा फाटक रोड, धनबाद	11,000
165.	प्यौर धर्माबन्द	डाकघर कतरासगढ़	बी० एन० जगदेव प्रसाद सिंह, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	17,000
166.	प्यौर गनेशपुर	डाकघर नावागढ़	प्यौर गनेशपुर कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	1,14,000
167.	प्यौर निचिंतपुर	डाकघर बांसजोड़	प्यौर निचिंतपुर कोलियरी कम्पनी डाकघर बांसजोड़, धनबाद	58,000
168.	प्यौर सिनीडीह	डाकघर टुन्डू	ठाकुर राम अवतार सिंह, डाकघर टुन्डू, धनबाद	4,000
169.	प्यौर सुदरईडीह	डाकघर टुन्डू	ठाकुर जी० पी० सिंह, डाकघर टुन्डू, धनबाद	30,000
170.	प्यौर सेलेक्टेड गोलकडीह	डाकघर झरिया	प्यौर सेलेक्टेड गोलकडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	93,000
171.	प्यौर भगतडीह	डाकघर झरिया	प्यौर भगतडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	10,500
172.	प्यौर सालनपुर	डाकघर कतरासगढ़	जी० बी० मोटी (रिसीवर), डाकघर झरिया	44,000
173.	पिनलगोरिया	डाकघर नावागढ़	ईस्ट केसूरगढ़ कोलियरी कम्पनी, डाकघर नावागढ़	26,000
174.	प्यौर दामोदा	डाकघर नुदखुरकी	पंडित राम भजु उपाध्याय एण्ड कम्पनी, डाकघर नुदखुरकी	2,10,000
175.	प्यौर जयरामडीह	डाकघर नुदखुरकी	प्यौर जयरामडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर नुदखुरकी, धनबाद	1,24,000
176.	प्यौर सेलेक्टेड बांसजोड़	डाकघर सिजुआ	एच० सी० भूटानी, डाकघर सिजुआ, धनबाद	4,56,000
177.	प्यौर सेलेक्टेड तेतुलमारी	डाकघर सिजुआ	प्यौर सेलेक्टेड तेतुलमारी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, डाकघर सिजुआ, धनबाद	45,000
178.	प्यौर गोलकडीह	डाकघर झरिया	प्यौर गोलकडीह कोल कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	80,000
179.	पथरगोरिया	डाकघर मोहुदा	भारत माइनिंग कारपोरेशन, 9, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता	4,000
180.	प्यौर बांसजोड़	डाकघर सिजुआ	मदनलाल बसवातिया, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
181.	प्यौर चन्दोर	—	दि वेस्ट चन्दोर कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
182.	रामगढ़ झरिया	डाकघर करमाटांड	रामगढ़ झरिया कोलियरी कम्पनी, डाकघर करमाटांड, धनबाद	1,64,000

1	2	3	4	5
183.	रायल टिसरा	डाकघर झरिया	रायल टिसरा कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	50,000
184.	रियल सुदामडीह	डाकघर पथरडीह	माधव सिन्हा, डाकघर पथरडीह	4,000
185.	सेलेक्टेड मान्ड्रा	डाकघर नावागढ़	सेलेक्टेड मान्ड्रा कोलियरी कम्पनी, डाकघर नावागढ़	18,000
186.	सेलेक्टेड मुरैडीह	डाकघर नावागढ़	सेलेक्टेड मुरैडीह कोलियरी कम्पनी, जीवन सदन, धनबाद	22,000
187.	साउथ बरोरा	डाकघर नावागढ़	डी० पी० लाल एण्ड सन्स, डाकघर नावागढ़, धनबाद	2,97,000
188.	सेलेक्टेड गोविन्दपुर	डाकघर कतरासगढ़	सेलेक्टेड गोविन्दपुर कोल कन्सर्न, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	42,000
189.	सेलेक्टेड केशलपुर	डाकघर कतरासगढ़	सेलेक्टेड केशलपुर कोलियरी कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	4,000
190.	सेलेक्टेड गोधुर	डाकघर कुसुन्डा	सेलेक्टेड गोधुर कोल कम्पनी, डाकघर कुसुन्डा, धनबाद	91,000
191.	श्री गोधुर	डाकघर कुसुन्डा	कतसरिया कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	35,000
192.	साउथ लोयाबाद	डाकघर बांसजोड़	साउथ लोयाबाद कोल कम्पनी, डाकघर बांसजोड़, धनबाद	21,000
193.	सेलेक्टेड सुदामडीह	डाकघर सिन्दरी इन्स्टीट्यूट	सेलेक्टेड सुदामडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर सिन्दरी इन्स्टीट्यूट, धनबाद	41,000
194.	सेलेक्टेड जोगता	डाकघर झरिया	सेलेक्टेड जोगता कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
195.	साउथ मुरैडीह	डाकघर कतरासगढ़	साउथ मुरैडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	6,000
196.	सुदरईडीह	डाकघर नुदखुरकी	सुन्डा शामलाल, डाकघर नावागढ़	4,000
197.	सेलेक्टेड घनुआडीह	डाकघर झरिया	सेलेक्टेड घनुआडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
198.	सेलेक्टेड जयरामपुर	डाकघर झरिया	सेलेक्टेड जयराम कोलियरी कम्पनी, आनन्द भवन, डाकघर झरिया	4,000
199.	साउथ जामडीह	डाकघर नुदखुरकी	नटवरलाल शामलदास एण्ड कम्पनी, डाकघर नुदखुरकी	4,000
200.	श्री जगन्नाथ	डाकघर टुन्डू	नार्थ बारामेसिया कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, अशोक बागान, डाकघर, धनबाद	4,000
201.	अपर मान्ड्रा	डाकघर नावागढ़	अपर मान्ड्रा कोलियरी कम्पनी, डाकघर नावागढ़, धनबाद	92,000
202.	अपर जीनागोरा	डाकघर जीनागोरा	जी० एस० अटवाल, 243, सेक्टर 9-सी, चण्डीगढ़	4,000

1	2	3	4	5
203.	अपर झरिया	डाकघर झरिया	अपर झरिया कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
204.	विक्ट्री	डाकघर धनसार	यूनाइटेड माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	9,17,000
205.	वेस्ट फुलारीटांड	डाकघर नावागढ़	वेस्ट फुलारीटांड कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद	55,000
206.	वेस्ट जोगीडीह	डाकघर कतरासगढ़	बिहार नेशनल कोल कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़	39,000
207.	वेस्ट कतरास	डाकघर कतरासगढ़	एन० के० बोस एण्ड ब्रदर्स, वेस्ट कतरास कोलियरी, डाकघर कतरासगढ़	1,22,000
208.	वेस्ट कोइलुडीह	डाकघर कतरासगढ़	वेस्ट कोइलुडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़	1,08,000
209.	वेस्ट रामकनाली	डाकघर कतरासगढ़	वेस्ट रामकनाली कोलियरी कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़, जिला धनबाद	13,82,000
210.	वेस्ट जयरामडीह	डाकघर नुदखुरकी	ए० के० चन्द्रा, डाकघर नुदखुरकी, धनबाद	रकम, क्रस सं० 98 के समाने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
211.	वेस्ट अंगारपथरा	डाकघर कतरासगढ़	वेस्ट अंगारपथरा कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	1,30,000
212.	वेस्ट चन्दोर	डाकघर सिजुआ	वेस्ट चन्दोर कोलियरी कम्पनी डाकघर झरिया, धनबाद	85,000
213.	वेस्ट मुदीडीह	डाकघर सिजुआ	बलीराम तनेजा माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सिजुआ, धनबाद	14,39,000
214.	वेस्ट ऐण्ड सोवारिया सालनपुर	डाकघर कतरासगढ़	एम० पी० एण्ड डी० डी० अग्रवाल धनबाद बाजार, धनबाद	55,000
215.	वेस्ट भूरंग्या	डाकघर मोहुदा	पी० के० लाला, डाकघर खरखरी	4,000
216.	वेस्ट गोविन्दपुर	डाकघर कतरासगढ़	वेस्ट गोविन्दपुर कोल कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	4,000
217.	वेस्ट केशलपुर	डाकघर कतरासगढ़	वेस्ट केशलपुर कोलियरी कम्पनी, डाकघर कतरासगढ़, धनबाद	4,000
218.	वेस्ट महेशपुर	डाकघर टुन्डू	श्री अग्रवाल कोल कम्पनी, डाकघर टुन्डू, धनबाद	4,000
219.	वेस्ट सालनपुर	डाकघर कतरासगढ़	गंगा बिशन महेन्द्र, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
बिहार—रानीगंज मुगमा कोयला क्षेत्र				
220.	बदजना	डाकघर निरसाचट्टी	ओरिएंटल कोल कम्पनी लिमिटेड, 25, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता	28,59,000

1	2	3	4	5
221.	बसुमता	डाकघर निरसाचट्टी	डी० एन० चन्द्रा एण्ड ब्रदर्स, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	4,000
222.	भोगकट	डाकघर मुगमा	बंगलक्ष्मी कोल कम्पनी, डाकघर मुगमा, धनबाद	5,000
223.	चापापुर	डाकघर निरसाचट्टी	बी० एन० दत्त तथा अन्य, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	25,000
224.	सेंट्रल शामपुर	डाकघर निरसाचट्टी	ए० के० चन्द्रा तथा अन्य, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	28,000
225.	सेंट्रल लायकडीह	डाकघर मुगमा	सेंट्रल लायकडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर मुगमा, धनबाद	4,000
226.	छतावड	—	मेसर्स न्यू छतावड कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर चिरकुन्डा, जिला धनबाद	18,000
227.	दहीबाड़ी	डाकघर मुगमा	दहीबाड़ी कोल कम्पनी, डाकघर मुगमा	7,50,100
228.	ईस्ट बदजना	डाकघर निरसाचट्टी	एस० एन० चन्द्रा एण्ड ब्रदर्स, डाकघर निरसाचट्टी	1,09,000
229.	ईस्ट कपसरा	डाकघर मुगमा	बंग लक्ष्मी कोल कम्पनी, डाकघर मुगमा, धनबाद	37,000
230.	ईस्ट कुमारधुबी	डाकघर चिरकुन्डा	श्री लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट, डाकघर झरिया, धनबाद	7,15,000
231.	ईस्ट राजपुरा	डाकघर मुगमा	राजपुरा कोल कम्पनी, डाकघर मुगमा	10,400
232.	ईस्ट शामपुर	डाकघर कुमारधुबी	ओरिएन्टल कोल कम्पनी, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद	16,000
233.	एडगरकूर (दुर्गामाता)	डाकघर चिरकुन्डा	दुर्गामाता कोल कम्पनी, डाकघर चिरकुन्डा	5,200
234.	एडगरकूर	डाकघर कुमारधुबी	श्रीमती शंकर बेन पटेल, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद	14,400
235.	ईस्ट पलसिया	डाकघर मुगमा	श्री के० के० गोस्वामी, डाकघर मुगमा, धनबाद	32,300
236.	एडगरकूर अग्रवाल	डाकघर निरसाचट्टी	बी० आर० अग्रवाल एण्ड कम्पनी, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद	31,000
237.	जामदोही बसन्तीमाता	डाकघर मुगमा	जामदोही कोल कम्पनी, डाकघर मुगमा, धनबाद	4, 43,800
238.	जमबूर्या (सेलेक्टेड जमबूर्या)	डाकघर निरसाचट्टी	ईस्ट इन्डियन कोल कम्पनी लिमिटेड, 4, क्लाइव रो, कलकत्ता	1, 24,000
239.	कालीमाता	डाकघर मुगमा	जी० एल० दूबे, डाकघर मुगमा, धनबाद	1,24,000
240.	कपसरा	डाकघर मुगमा	बिहार कोल सिंडीकेट (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर मुगमा, धनबाद	65,300

1	2	3	4	5
241.	खास कालीमाटी	डाकघर कुमारधुबी	खास कालीमाटी कोल कम्पनी, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद	1,00,000
242.	खास निरसा	डाकघर निरसाचट्टी	महत्ता ब्रदर्स, 19, बिट्रिश इन्डियन स्ट्रीट, कलकत्ता-1	2,73,000
243.	खूदिया	डाकघर निरसाचट्टी	खूदिया कोल कम्पनी, डाकघर निरसाचट्टी, रिसीवर, ओंकारमल अग्रवाल, डाकघर बरकर, बर्दवान	2,18,000
244.	खास बदजना	डाकघर निरसाचट्टी	वेस्टर्न बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस, डाकघर मोरिया कोलियरी, बर्दवान	11,12,000
245.	खास वृन्दावनपुर	डाकघर मुगमा	बालकृष्ण कोल कम्पनी, डाकघर बराकर	7,000
246.	खास एडगरकूर	डाकघर कुमारधुबी	बी० एन० मंडल एण्ड एल० एल० अग्रवाल, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद	4,000
247.	कुआरडीह	डाकघर बराकर	बनर्जी एण्ड कम्पनी, डाकघर बराकर	1,29,000
248.	लोअर बदजना	डाकघर निरसाचट्टी	एसोसिएटेड लायकडीह कोलियरी लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	7,52,000
249.	लोअर बेगुनिया	डाकघर मुगमा	एसोसिएटेड लायकडीह कोलियरी लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	4,000
250.	मेराह	डाकघर चिरकुन्डा	रघुनाथ अग्रवाल, डाकघर चिरकुन्डा	1,28,000
251.	नयाडांगा	डाकघर निरसाचट्टी	के० जी० सैजी एण्ड सन्स, डाकघर सीरसोल, राजबाड़ी, बर्दवान	1,02,000
252.	निरसा खास	डाकघर निरसाचट्टी	निरसा खास कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सीरसोल राजबाड़ी, बर्दवान	1,37,800
253.	नार्थ बदजना	डाकघर निरसाचट्टी	नार्थ बदजना कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर रानाघाट, नादिया	*8,27,000
254.	नार्थ लायकडीह	डाकघर निरसाचट्टी	नार्थ लायकडीह कोल कम्पनी, 22, स्ट्रैन्ड रोड, कलकत्ता	2,17,000
255.	ओरिएण्टल	डाकघर कुमारधुबी	ओरिएण्टल कोल कम्पनी, डाकघर कुमारधुबी	41,000
256.	प्यौर लायकडीह	डाकघर निरसाचट्टी	प्यौर लायकडीह कोलियरी प्राइवेट लिमिटेड, 26ए, फर्न रोड, कलकत्ता-19	2,18,400

1	2	3	4	5
257.	प्यौर मंडमान	डाकघर मुगमा	ईस्ट इण्डियन कोल कम्पनी लिमिटेड, 4, कलाइव रो, कलकत्ता	1,46,000
258.	प्यौर राजपुरा	डाकघर कुमारधुबी	श्रीमती संकरबेन पटेल, डाकघर कुमारधुबी	79,000
259.	प्यौर शामपुर	डाकघर निरसाचट्टी	डी० मंडल एण्ड कम्पनी, डाकघर निरसाचट्टी	3,04,000
260.	पलसिया	डाकघर मुगमा	के० के० गोस्वामी, डाकघर मुगमा	73,000
261.	प्यौर हरियाजन	डाकघर निरसाचट्टी	ईस्ट इण्डियन कोल कम्पनी लिमिटेड, 4, क्लाइव रो, कलकत्ता	78,000
262.	प्यौर सिंहपुर	डाकघर निरसाचट्टी	सत्यपाल कपूर, कपूर निवास, धनबाद	1,68,000
263.	राजपुरा	डाकघर मुगमा	आर० के० कोल कम्पनी, बराकर (पश्चिमी बंगाल)	37,000
264.	रिलायन्स	डाकघर कुमारधुबी	रिलायन्स कोल कम्पनी, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद	1,30,000
265.	रामकृष्ण	डाकघर चिरकुन्डा	पी० एन० मुखर्जी, डाकघर चिरकुन्डा	83,600
266.	राज	डाकघर कुमारधुबी	पी० एन० सेन, डाकघर मुगमा, धनबाद	10,000
267.	सत्यनारायण	डाकघर कुमारधुबी	रुरुमल अग्रवाल, डाकघर सत्यनारायण कोलियरी, कुमारधुबी	57,700
268.	शामपुर	डाकघर निरसाचट्टी	खास शामपुर कोल कंपनी, डाकघर निरसाचट्टी	2,51,000
269.	शामपुर	डाकघर निरसाचट्टी	दि कमला कोल कंपनी, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	17,400
270.	साउथ मर्म	डाकघर मुगमा	गुलजारी लाल अग्रवाल, डाकघर झरिया, धनबाद	29,800
271.	श्री दुर्गामाता	डाकघर मुगमा	जे० एन० गराई एण्ड अदर्स, डाकघर चिरकुन्डा	81,700
272.	श्री गोपीनाथपुर	डाकघर निरसाचट्टी	श्रीमती महामाया देवी, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	3,23,400
273.	श्री लक्ष्मीमाता	डाकघर चिरकुन्डा	जे० के० गराई एण्ड कम्पनी, डाकघर मुगमा, धनबाद	1,55,000
274.	सुदर्शन शामपुर	डाकघर निरसाचट्टी	के० एल० भाम्बरी एण्ड कम्पनी, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	1,07,000
275.	श्री रघुनाथजी	डाकघर चिरकुन्डा	श्री रघुनाथजी कोल कम्पनी, डाकघर चिरकुन्डा	90,600

1	2	3	4	5
276.	सेलेक्टेड फटका	डाकघर निरसाचट्टी	श्री कृष्ण कोलियरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद	1,13,000
277.	साउथ बदजना	डाकघर निरसाचट्टी	साउथ बदजना कोल कंपनी, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	रकम, क्रम संख्या 253 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
278.	शामपुर	डाकघर मुगमा	दि दुर्गा कोल कम्पनी, डाकघर मुगमा	39,000
279.	सेलेक्टेड भालजोड़ी	डाकघर धनबाद	सेलेक्टेड भालजोड़ी कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	4,000
280.	सेलेक्टेड लायकडीह	डाकघर गोविन्दपुर	सत्यनारायण अग्रवाल एण्ड पार्टनर्स, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	8,000
281.	साउथ ईस्ट बदजना	डाकघर निरसाचट्टी	जे० के० बनर्जी एण्ड अदर्स, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	4,000
282.	तिवारी बेलडांगा खास	डाकघर चुरुलिया	मेसर्स एस० सी० तिवारी एण्ड अदर्स, डाकघर परसुन्डी, जिला वीरभूम	4,000
283.	अपर मेहताडीह	डाकघर निरसाचट्टी	ईस्ट इण्डियन कोल कंपनी, 4, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	1,69,000
284.	वेस्ट बराकर	डाकघर कुमारधुबी	दिनेन्द्र नाथ दास, डाकघर कुमारधुबी	4,000
285.	वेस्ट बराकर	डाकघर मुगमा	बिहार फायर ब्रिक्स एण्ड पाटरीज लिमिटेड, 22, स्ट्रेण्ड रोड, कलकत्ता-1	15,000
286.	वेस्ट चांच	डाकघर निरसाचट्टी	वेस्ट चांच कोल कंपनी, डाकघर बराकर	8,000
287.	वेस्ट लायकडीह	डाकघर मुगमा	वेस्ट लायकडीह कोल कंपनी, 152-बी० के० पाल ऐवेन्यू, कलकत्ता-5	64,200
288.	वेस्ट राजपुरा	डाकघर मुगमा	कल्याणेश्वरी कोल कम्पनी, डाकघर मुगमा, धनबाद	8,000
289.	वेस्ट शामपुर	डाकघर निरसाचट्टी	बिहारीलाल अग्रवाल, डाकघर निरसाचट्टी, धनबाद	4,000
करनपुरा कोयला क्षेत्र				
290.	आरा	डाकघर कुजू	नार्थ रामगढ़ कोलियरी कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 8, देवदार स्ट्रीट, कलकत्ता-19	6,87,000
291.	बनवार	डाकघर मांडू	रघुनाथ भगत, हजारीबाग	4,000
292.	चुरी	डाकघर रे	यूनाइटेड करनपुरा कोलियरी कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 91, स्टीफेन हाउस, कलकत्ता-1	4,40,000

1	2	3	4	5
293.	सेंट्रल सौंडा	डाकघर सौंडा	यूनाइटेड कोलियरीज लिमिटेड, 5, रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1	28,00,000
294.	डकरा बकबका	डाकघर खलाड़ी	यूनाइटेड करनपुरा कोलियरी कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 9, स्टीफेन हाउस, कलकत्ता-1	25,84,000
295.	दामोदर वैली	डाकघर हिन्डेगीर	बी० के० भादुड़ी एण्ड सन्स, 10, पुरुलिया रोड, रांची	1,31,000
296.	दातमा	डाकघर कुजू	एम० के० राना (रिसीवर), बंसीलाल चौक, हजारीबाग	4,000
297.	गिधनिया	डाकघर रामगढ़	(1) ढोरी कोल कंपनी लिमिटेड (2) मेसर्स एन्डरसन राइट लिमिटेड, 34/4, ग्रास वेनोर हाउस, ओल्ड कोर्ट हाउस, कलकत्ता	4,000
298.	हिन्डेगीर	डाकघर हिन्डेगीर	हिन्डेगीर माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, हीरापुर, धनबाद	5,45,000
299.	हेसागोरा	डाकघर कुजू	हेसागोरा कोल कंपनी, डाकघर कुजू	88,000
300.	झारखंड	डाकघर घेटुटांड	(स्वामित्व विवादग्रस्त)	11,000
301.	करनपुरा दोवारखंड	डाकघर खलाड़ी	करनपुरा दोवारखंड कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, एफ० 3, गिलेंडर्स हाउस, कलकत्ता	10,83,000
302.	करकटा	डाकघर खलाड़ी	अजीत प्रसाद सिंहदेव एण्ड अदर्स, 82, स्टीफेन हाउस, कलकत्ता-1	5,16,000
303.	करनपुरा	डाकघर पतरातू	एसोसिएटेड करनपुरा कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	12,14,000
304.	खास करनपुरा	डाकघर पतरातू	खास करनपुरा कोलियरीज लिमिटेड, 71, गणेश चन्द्र ऐवेन्यू, कलकत्ता	8,30,000
305.	केडला	डाकघर घेटुटांड	(स्वामित्व विवादग्रस्त)	34,000
306.	कुजू	डाकघर कुजू	कुजू कोलियरी कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर कुजू	1,82,000
307.	लपंगा	डाकघर भदामीनगर	हिन्दुस्तान कोल कंपनी, भदामीनगर, हजारीबाग	2,36,000
308.	लैयो	डाकघर दनेया	नार्थ बोकारो कोल कंपनी, डाकघर दनेया, हजारीबाग	1,89,500
309.	मनकी	डाकघर रे	नेशनल सीमेंट माइन्स एण्ड इंडस्ट्रीज, 82, स्टीफेन हाउस, ईस्ट, कलकत्ता-1	2,58,000
310.	माण्ड	डाकघर चितरपुर	राजबल्लब सिंह, चितरपुर, हजारीबाग	73,000
311.	माडेल ढोरी	डाकघर चैनपुर	माडेल ढोरी कोलियरी कम्पनी, हजारीबाग	39,000

1	2	3	4	5
312.	मोरपा	डाकघर कुजू	ए० के० राय एण्ड आर० पी० चौधरी, डाकघर कुजू	2,29,000
313.	मानगढ़	डाकघर मांडू	मनी चटर्जी, हजारीबाग	रकम, क्रम सं० 327 के समने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
314.	न्यू सरकार कोलियरी	डाकघर मांडू	(स्वामित्व विवादग्रस्त)	4,000
315.	पिंडरा	डाकघर कुजू	पिंडरा कोल कम्पनी, राम नारायण जी का कम्पाउंड, रांची	93,000
316.	पकरीबरवाडीह	डाकघर बड़कागांव	सैयद बोकीर मेहदी, रांची	4,000
317.	रे	डाकघर रे	एन० सी० एम० आई० लिमिटेड, 82, स्टीफेन हाउस, कलकत्ता	5,63,000
318.	राउता	डाकघर रामगढ़ छावनी	(स्वामित्व विवादग्रस्त)	4,000
319.	रेलिगारा	डाकघर रेलिगारा	दि करनपुरा कोलियरी लिमिटेड, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता-1	*77,70,000
320.	साऊथ करनपुरा	डाकघर हिन्डेगीर	चौहान ब्रदर्स, ओल्ड कमिश्नर्स कम्पाउंड, रांची	1,25,000
321.	सुग्गिया	डाकघर चितरपुर	सुग्गिया कोल कम्पनी, चितरपुर	4,500
322.	सौंडा 'डी' (वर्ड्स)	डाकघर भुरकुन्डा	करनपुरा कोलियरीज लिमिटेड, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 319 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
323.	सिरका	डाकघर अरगडा	साउथ करनपुरा कोल कम्पनी लिमिटेड, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता-19	28,83,000
324.	सारूबेरा	डाकघर कुजू	नार्थ रामगढ़ कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, देवदार स्ट्रीट, कलकत्ता-1	2,42,000
325.	सेमरा	डाकघर मांडू	वी० एम० राय, बड़ा बाजार, हजारीबाग	9,000
326.	टोयरा	डाकघर कुजू	एम० एन० चटर्जी, डाकघर कुजू	1,12,000
327.	टोपा	डाकघर कुजू	टोपा कोल कम्पनी, कुजू, रिसीवर एम० एच० चटर्जी एण्ड एस० के० बनर्जी, डाकघर कुजू, हजारीबाग	†1,23,000
328.	वेस्ट तुमांग	डाकघर एम० सी० चुसकीगंज, रांची	चौहान ब्रदर्स, ओल्ड कमिश्नर्स कम्पाउंड, रांची	2,89,500
गिरीडीह				
329.	कबरीबाद	डाकघर बेनियाडीह	सीरामपुर कोल कम्पनी, डाकघर गिरीडीह	23,000

* इस रकम में क्रम सं० 322 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

† इस रकम में क्रम सं० 313 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
मध्य भारत कोयला क्षेत्र				
330.	चिरिमिरी	डाकघर चिरिमिरी	चिरिमिरी कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 18/22, शेख मेमन स्ट्रीट, मुम्बई-2	37,51,000
331.	न्यू चिरिमिरी (पोनरी हिल)	डाकघर चिरिमिरी	दादाभाई न्यू चिरिमिरी पोनरी हिल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 85, नागपुर	63,60,000
332.	नार्थ चिरिमिरी	डाकघर गेल्हापानी	यूनाइटेड कोलियरीज लिमिटेड, 25, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता	15,01,000
333.	नार्थ झगराखांड	डाकघर झगराखांड कोलियरी	झगराखांड कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, 13, गरियाहाट रोड, कलकत्ता-19	*61,42,000
334.	प्यौर चिरिमिरी	डाकघर चिरिमिरी	के० एन० ढाडी, डाकघर चिरिमिरी	1,80,000
335.	राजनगर	डाकघर राजनगर कोलियरी	मेसर्स दालचन्द बहादुर सिंह, 15, गरियाहाट रोड, कलकत्ता-19	14,71,000
336.	रामनगर	डाकघर रामनगर कोलियरी	विंध्या कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	12,02,000
337.	साउथ झगराखांड	डाकघर झगराखांड कोलियरी	झगराखांड कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 15, गरियाहाट रोड, कलकत्ता-19	रकम, क्रम सं० 333 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
338.	वेस्ट चिरिमिरी	डाकघर चिरिमिरी	इन्द्रसिंह एण्ड सन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 7, वेल्जली प्लेस, कलकत्ता-1	33,75,000
339.	वेस्ट झगराखांड	डाकघर वेस्ट झगराखांड	झगराखांड कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 13, गरियाहाट रोड, कलकत्ता-19	रकम, क्रम सं० 333 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
पेंच-कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र				
340.	अमबाडा	डाकघर जुन्नारदेव	एन० एच० ओझा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, एफ-3, गिलेन्डर हाउस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	5,41,000
341.	बड़कुई	डाकघर परासिया	पेंच वैली कोल कम्पनी लिमिटेड, हांगकांग हाउस, 31, डलहौजी स्क्वायर, कलकत्ता-1	†53,08,000
342.	बड़कुई वेस्ट	डाकघर परासिया	मेसर्स जे० ए० त्रिवेदी ब्रदर्स, पोस्ट बाक्स नं० 1, बालाघाट, जिला छिंदवाडा	2,16,000

* इस रकम में क्रम सं० 337 और 339 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

† इस रकम में क्रम सं० 344, 349 और 357 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
343.	भमोरी	डाकघर परासिया	अमलगमेटेड कोलफील्ड्स लिमिटेड, 'हांगकांग हाउस', 31, हलहौजी स्कवायर, कलकत्ता-1	*94,04,000
344.	चांदामेटा	डाकघर परासिया	पेंच वैली कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर परासिया, छिंदवाड़ा	रकम, क्रम सं० 341 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
345.	दातला ईस्ट	—	मेसर्स अमलगमेटेड कोल फील्ड्स लिमिटेड, डाकघर परासिया, जिला छिंदवाड़ा	रकम, क्रम सं० 343 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
346.	दातला वेस्ट	डाकघर जुन्नारदेव	अमलगमेटेड कोल फील्ड्स 'हांगकांग हाउस', 31, डलहौजी स्कवायर, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 343 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
347.	दमुआ	डाकघर दमुआ कोलियरी	(स्वामित्व विवादग्रस्त)	†6,76,000
348.	धाऊ	डाकघर धाऊ	श्री दुर्गाप्रसाद धाऊ कोलियरी जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा	21,500
349.	ईस्ट डोंगरचिकली	डाकघर परासिया	पेंच वैली कोल कम्पनी लिमिटेड, 'हांगकांग हाउस', 31, डलहौजी स्कवायर, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 341 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
350.	इकलहरा	डाकघर परासिया	अमलगमेटेड कोलफील्ड्स, 'हांगकांग हाउस', 31, डलहौजी स्कवायर, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 343 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
351.	ईस्ट बड़कुई	डाकघर परासिया	जे० ए० त्रिवेदी एण्ड ब्रदर्स, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	4,000
352.	घोड़ावाड़ी हिरदागढ़	डाकघर घोड़ावाड़ी खुर्द	जे० ए० त्रिवेदी एण्ड ब्रदर्स, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	3,47,000
353.	घोड़ावाड़ी कलां	डाकघर घोड़ावाड़ी	टी० के० शुक्ला, डाकघर घोड़ासोरा, छिंदवाड़ा	4,000
354.	जामकुन्डा	डाकघर जुन्नारदेव	एन० एच० ओझा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, एफ-3, गिलेन्डर हाउस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	4,000
355.	कालीछप्पर	डाकघर दमुआ कोलियरीज	(स्वामित्व विवादग्रस्त)	रकम, क्रम सं० 347 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
356.	न्यूटन चिकली	डाकघर परासिया	न्यूटन चिकली कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर परासिया, छिंदवाड़ा	52,01,000

* इस रकम में क्रम सं० 345, 346, 350 और 360 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

† इस रकम में क्रम सं० 355 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
357.	नार्थ चांदामेटा	डाकघर परासिया	पेंच वैली कोल कम्पनी लिमिटेड, 'हांकांग हाउस', 31, डलहौजी स्कवायर, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 341 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
358.	नन्दोरा	डाकघर परासिया	पेंच वैली कोल कम्पनी लिमिटेड, परासिया	41,000
359.	राखीकोल	डाकघर राखीकोल	एस० सी० खम्बाटा (प्राइवेट) लिमिटेड, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-20	2,51,000
360.	रावणवाड़ा	डाकघर परासिया	अमलगमेटेड कोल फील्ड्स लिमिटेड, डाकघर परासिया, छिंदवाड़ा	रकम, क्रम सं० 343 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
361.	रावणवाड़ा खास	डाकघर परासिया	ओरिएन्टल कोल कम्पनी लिमिटेड, 25, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता	9,14,000
362.	सियाल घोघरी	डाकघर जुन्नारदेव	सियाल घोघरी ग्रुप, नेलसन स्कवायर, नागपुर	2,94,000
363.	सुकुरी	डाकघर परासिया	दि जमाई माजरी कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर परासिया, छिंदवाड़ा	6,92,000
364.	साउथ पनारा	डाकघर जुन्नारदेव	लाला बिकिमला जगन्नाथ, डाकघर जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा	4,000
रायगढ़ कोयला क्षेत्र				
365.	बड़ौद	डाकघर घोरघोड़ा	पी० आर० गुप्ता एण्ड अदर्स, रायगढ़, मध्य प्रदेश	11,000
366.	डोमनारा	डाकघर खरसिया, रायगढ़	आर० एन पोद्दार, नार्थ अम्बा झरी रोड, नागपुर	†12,000
367.	डोमनारा	—	श्री जे० के० पोद्दार, 32, वर्धा रोड, नागपुर	रकम, क्रम सं० 366 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
सोहागपुर और जोहिला कोयला क्षेत्र				
368.	अमलाई	डाकघर धनुपरी	रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, 4, बंकसल स्ट्रीट, कलकत्ता-1	*97,42,000
369.	भादरा	डाकघर कोतमा	रेवा माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोतमा	6,27,000
370.	बीरसिंहपुर	डाकघर बीरसिंहपुर पाली	जोहिला कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर बीरसिंहपुर पाली, जिला शहडोल	22,13,000

† इस रकम में क्रम सं० 367 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

* इस रकम में क्रम सं० 371, 372 और 376 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
371.	बुड्दहार नं० 1 और 2	डाकघर धनपुरी	रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, 4, बंकसल स्ट्रीट, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 368 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
372.	बुड्दहार नं० 3	डाकघर धनपुरी	रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, 4, बंकसल स्ट्रीट, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 368 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
373.	कोतमा	डाकघर कोतमा कोलियरी	एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, 121, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-20	44,28,000
374.	नौरोजाबाद	डाकघर नौरोजाबाद	एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, 121, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-20	32,41,000
375.	रूंगटा	डाकघर रूंगटा कोलियरी	महाबीर प्रसाद रूंगटा एण्ड पार्टनर्स, डाकघर रूंगटा कोलियरी	4,42,000
376.	उमरिया	डाकघर उमरिया	रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर उमरिया, जिला शहडोल	रकम, क्रम सं० 368 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।

महाराष्ट्र

कामठी कोयला क्षेत्र

377.	इन्दर	—	मेसर्स ओरिएंटल कोल कम्पनी लिमिटेड, 25, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता-1	8,29,000
378.	कामठी	डाकघर कामठी	मेसर्स ओरिएंटल कोल कम्पनी लिमिटेड, 25, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता-1	21,22,000

वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र

379.	बल्लारपुर	डाकघर बल्लारपुर	बल्लारपुर कोलियरीज कम्पनी, विसेश्वर हाउस, लाजपतराय मार्ग, पोस्ट बाक्स नं० 11, नागपुर	†38,77,000
380.	चान्दा रावतवाडी	डाकघर चान्दा	आर० बी० सेठ एण्ड श्रीराम दुर्गा प्रसाद तुमसर, जिला भण्डारा	8,21,000
381.	धुगुस	डाकघर माणिकपुर	बल्लारपुर कोलियरी कम्पनी, विसेश्वर हाउस, पोस्ट बाक्स नं० 11, नागपुर	कम, क्रम सं० 379 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
382.	हिन्दुस्तान लालपेठ	डाकघर चान्दा	परफेक्ट पाटरी कम्पनी लिमिटेड, हनुमानलाल, जबलपुर	17,80,000

† इस रकम में क्रम सं० 381 और 385 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
383.	न्यू माजरी	डाकघर शिवाजी नगर, चान्दा	सेठिया माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन-4, बकुल बागान रो, कलकत्ता-25	10,10,000
384.	राजूर	डाकघर राजूर	राजकुमार माइनिंग कम्पनी	75,000
385.	सामली	डाकघर बल्लारपुर	बल्लारपुर कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, टेम्पल रोड, पोस्ट बाक्स नं० 11, नागपुर	कम, क्रम सं० 379 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
386.	श्री महाकाली	डाकघर महाकाली	श्री महाकाली कोल माइन्स लिमिटेड, 23बी, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता- 1 (समापक के अधीन)	4,000

मेघालय

खासी और जयन्तिया कोयला क्षेत्र

387.	बारप्रोरा	—	आसाम बंगाल सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, 7 वेलेजली प्लेस, कलकत्ता-1	4,000
388.	चेरापूंजी	डाकघर चेरापूंजी जिला खा० और जं० हिल्स	दि चेराछटक रोपवे कम्पनी लिमिटेड, 1 और 2 ओल्ड कोर्ट हाउस कार्नर, कलकत्ता-1	4,000
389.	लैत्रीनगिव	—	दि चेराछटक रोपवे कम्पनी लिमिटेड, 1 और 2 ओल्ड कोर्ट हाउस कार्नर, कलकत्ता-1	4,000
390.	लैत्रीनगिव	—	दि लैत्रीनगिव चेरा कोल एसोसिएशन, डाकघर चेरापूंजी, जिला यू० के० हिल्स	4,000
391.	मावसिनराम	डाकघर मावसिनराम यू० के० हिल्स	मेसर्स सिडरोका मारबानियंग, डाकघर शिलांग	4,000
392.	ठांगजीनाथ	डाकघर पितुर्सला	आसाम ट्रेडिंग एण्ड माइनिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, शिलांग	7,000

उड़ीसा

इब घाटी कोयला क्षेत्र

393.	हिंगिर रामपुर	डाकघर रामपुर कोलियरी	हिंगिर रामपुर कोल कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 109, होम स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई	18,74,000
394.	इबरिवर	डाकघर ब्रजराज नगर	चांदमल इन्द्र कुमार करनानी, 3, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	1,50,000
395.	ओरिएन्ट	डाकघर ब्रजराज नगर	वेस्टर्न बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस मोइरा कोलियरी, जिला बर्दवान	34,90,000

1	2	3	4	5
पश्चिमी बंगाल				
396.	अजय बैंक	डाकघर नूतन डांगा	अजय कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 34 ए, सरदार शंकर रोड, कलकत्ता-29	47,000
397.	अर्द्धग्राम खास	डाकघर अर्द्धग्राम	मेसर्स आर० के० अग्रवाल एण्ड सन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, लालबाजार, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
398.	ऐडजाय सेकेन्ड	चरणपुर	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
399.	अलकुसा	डाकघर सामदी	जे० डी० मंडल, डाकघर सामदी, बर्दवान	16,000
400.	अलकुसा गोपालपुर	डाकघर सामदी	खन्ना कोल कारपोरेशन, डाकघर सामदी	1,31,000
401.	अलडीह	—	इक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, 1/2, लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-16	रकम, क्रम सं० 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
402.	अखालपुर	डाकघर चरणपुर	वेस्ट जमुडिया कोल कम्पनी लिमिटेड, 2, ब्रेवोर्न रोड, कलकत्ता-1	4,000
403.	औरंग	डाकघर कसता	कसता कोलफील्ड्स लिमिटेड, 3, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	4,000
404.	बारमन्डिया 3 एण्ड 4 पिट्स	डाकघर कनैयापुर	न्यू वीरभूम कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो कलकत्ता-1	8,90,000
405.	भामुडिया	डाकघर भामुडिया	नातुडिया कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर भामुडिया, जिला पुरुलिया	1,31,000
406.	बुराधमी	डाकघर सीतारामपुर	नार्थ हेमो कोल कम्पनी लिमिटेड, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	1,12,000
407.	बाबीसोल	डाकघर ओन्डाल	भारत माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 99 स्टीफन हाउस, 5वीं मंजिल, डलहौजी स्क्वायर, कलकत्ता	85,100
408.	बेलवाइद	डाकघर तोपोसी	बेलवाइद कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर रानीगंज, बर्दवान	2,06,000
409.	बांकोला	डाकघर उखड़ा	बराकर कोल कम्पनी लिमिटेड, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता-1	36,78,000
410.	बंकसीमुला 7 एण्ड 8 पिट्स	डाकघर चरणपुर	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	रकम, क्रम सं० 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
411.	भानोडा	डाकघर चरणपुर	इक्विटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, 1/2 लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-16	*1,41,30,000
412.	भानोडा साउथ	डाकघर चरणपुर	इक्विटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, 1/2 लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-16	रकम, क्रम सं० 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
413.	ब्राइट्स राना	डाकघर चरणपुर	डी० ब्राइट एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर चरणपुर, बर्दवान	2,30,000
414.	बिनोद कट्टा	डाकघर सामदी	जीवन लाल कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सामदी	19,000
415.	भागरन	डाकघर सालनपुर	दि साउथ भागरन कोल कम्पनी, डाकघर सालनपुर, बर्दवान	1,10,000
416.	बान जमिहारी	डाकघर सालनपुर	बान जमिहारी एन्ध्रे साइट कोल कम्पनी, डाकघर सालनपुर, बर्दवान	2,65,000
417.	बेनाली	डाकघर रानीगंज	निमचा कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 21, जतिन्द्र मोहन ऐवेन्यू, कलकत्ता-6	45,000
418.	भादूलिया	डाकघर खोइरासोल	दुबराजपुर कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर भादूलिया, बीरभूम	15,000
419.	बेजदी	डाकघर सीतारामपुर	इक्विटेबल कोल कम्पनी, 1/2, लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-16	रकम, क्रम सं० 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
420.	भूतडोबा	डाकघर आसनसोल	ए० पी० दत्ता एण्ड कम्पनी, हटन रोड, आसनसोल	4,000
421.	बोराचक	डाकघर आसनसोल	बोराचक कोलियरीज कम्पनी, डाकघर सीतारामपुर	4,000
422.	भटमूरा	—	पी० के० अग्रवाल एण्ड अदर्स, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
423.	भरतचक	—	बी० एन० सान्याल (प्राइवेट) लिमिटेड, जिला बर्दवान	4,000
424.	बोरजोर	डाकघर हजारीबाग	सामला कोजोडा कोल कम्पनी, डाकघर हजारीबाग, बीरभूम	4,000
425.	बंकसीमुला ओल्ड पिट्स	—	बंगाल कोल कम्पनी, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	रकम, क्रम सं० 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।

* इस रकम में क्रम सं० 401, 412, 419, 452, 471, 510, 517, 518, 527, 563 और 629 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
426.	बासंराचक	—	न्यू बीरभूम कोल कम्पनी लिमिटेड, बर्दवान	रकम, क्रम सं० 611 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
427.	बामनबांध	डाकघर चरणपुर	गोपाल नारायण सिंह, नागेश्वर बाग, डाकघर बुनियादगंज, गया	4,000
428.	बानबिडुी	डाकघर सालनपुर	श्री दुर्गादास माजी, ग्राम खुरडिका, डाकघर सालनपुर, जिला बर्दवान	34,000
429.	बस्तापुर	डाकघर खियेरसेल	शक्तिपद नायक एण्ड अदर्स, डाकघर भादूलिया, बर्दवान	4,000
430.	बंकसीमुला 11 एण्ड 12 पिट्स	डाकघर चरणपुर	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	रकम, क्रम सं० 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
431.	बेलरुई डिशेरगढ़	डाकघर सीतारामपुर	मेसर्स बेलरुई डिशेरगढ़ कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सालनपुर, बर्दवान	4,000
432.	चिनाकुडी नं० 1 एण्ड 2 पिट्स	डाकघर सुन्दरचक	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, *3,75,06,000 क्लाइव रो, कलकत्ता	
433.	चिनाकुडी नं० पिट	डाकघर सुन्दरचक	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	रकम, क्रम सं० 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
434.	चौकीडांगा	डाकघर तोपोसी	बीरभूम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, 7, मनोहरपुर रोड, कलकत्ता	16,000
435.	सेंट्रल एण्ड लोअर जमबाद	डाकघर बहूला	ईस्ट बहूला कोलियरीज लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	5,34,000
436.	चोरा पिट्स 1. चोरा-10 पिट्स 2. चोरा-7 एण्ड 9 पिट्स	डाकघर बहूला, बर्दवान	चोरा कोल कम्पनी, 8, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	11,77,000
437.	सेन्ट्रल सातग्राम	डाकघर जे के नगर	हरसुखदास बालकिशनदास, 22, बड़टोला स्ट्रीट, कलकत्ता	9,46,000
438.	छलबपुर	डाकघर जे के नगर	के० एल० सेलेक्टेड कोल कन्सर्न, डाकघर जे के नगर	93,000
439.	चपुई खास	डाकघर कालीपहाड़ी	साहू मिनरल्स एण्ड प्रापरटीज लिमिटेड, ए-3, पृथ्वीराज रोड, जयपुर	16,28,000
440.	सेंट्रल जमुडिया	डाकघर नन्दी	बी० डी० गोरच, नूरुद्दीन रोड, डाकघर आसनसोल, बर्दवान	9,000

* इस रकम में क्रम सं० 398, 410, 425, 430, 433, 494, 526, 604, 606, 635, 642, 643 और 644 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
441.	चपटोरिया	डाकघर सालनपुर	ईस्ट चपटोरिया कोल कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 22, कैनिंग स्ट्रीट कलकत्ता-1	99,000
442.	चिनचूरिया	डाकघर आसनसोल	अजय बैंक मिनरल्स, डाकघर चूरुलिया, बर्दवान	4,000
443.	चक केशबगंज	—	श्रीमती इन्दुमती देवी द्वारा कार्तिक चन्दमुखर्जी, गांव जसीडीह, डाकघर डिशेरगढ़, जिला बर्दवान	4,000
444.	चौरसिया	—	चौरसिया कोल कंपनी, डाकघर कालीपहाड़ी, बर्दवान	4,000
445.	चिनचूरिया एण्ड चिनचूरिया ईस्ट	—	बहादुर सिंह भुटारिया एण्ड अदर्स, डाकघर आसनसोल, बर्दवान	4,000
446.	सेंट्रल नन्दी	डाकघर नन्दी	श्री नाथूमल लायलका, डाकघर रानीगंज, बर्दवान	4,000
447.	सेंट्रल सीतलपुर	—	कनाई लाल मुखर्जी गांव राजपुर नन्दी, डाकघर जवमुडिया, बर्दवान	4,000
448.	सेंट्रल केन्दा	डाकघर तोपोसी	गोपाल प्रसाद पाण्डे, सेंट्रल केन्दा कोलियरीज, डाकघर तोपीसी	4,000
449.	चोरा खास	डाकघर चोरा	सेलेक्टेड चोरा कोल कंपनी लिमिटेड, 6, इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1	4,000
450.	सेंट्रल डिशेरगढ़	सेंट्रल डिशेरगढ़	सेंट्रल डिशेरगढ़ कोल कंपनी लिमिटेड, 174, हरीसन रोड, कलकत्ता	4,000
451.	चकबगा खास	जिला बांकुरा	शंकर प्रसाद सिंह देव, डाकघर पंचकेतराज, पुरुलिया	4,000
452.	चौरासी	डाकघर नेतुडिया	इक्विटेबल कोल कंपनी लिमिटेड, 1/2 लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-16	रकम, क्रम सं० 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
453.	चुरुलिया ईस्ट	डाकघर चुरुलिया	ईस्ट चुरुलिया कोलियरी कम्पनी, डाकघर चुरुलिया, बर्दवान	4,000
454.	सेंट्रल काजोड़ा	डाकघर काजोड़ाग्राम	दत्ता काजोड़ा कोल कम्पनी लिमिटेड, 1, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	15,000
455.	चिनचूरिया खास	डाकघर आसनसोल	खास चिनचूरिया कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर आसनसोल	4,000
456.	चरणपुर	डाकघर चरणपुर	ईश्वर शिव ठाकुर सबेहाट, डाकघर निरसाचट्टी	4,000
457.	चुरुलिया	डाकघर चुरुलिया	न्यू चुरुलिया कोल कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 4, लाएन्स रेंज, कलकत्ता	6,000

1	2	3	4	5
458.	सेंट्रल बाड़ाबोनी	डाकघर बाड़ाबोनी	श्री ए० के० घोष और श्री बी० एन० तर्कतीर्थ, डाकघर बाड़ाबोनी, बर्दवान	4,000
459.	सेंट्रल पोनीआटी	डाकघर नन्दी	सेंट्रल पोनीआटी कोल कम्पनी, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	4,000
460.	देओली (मंडल)	डाकघर डिशेरगढ़	बी० एन० मंडल एन्ड कंपनी, डाकघर डिशेरगढ़, बर्दवान	1,56,000
461.	धीमोमेन	डाकघर सीतारामपुर	धीमोमेन कोलियरीज एन्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 36, चौरंगी रोड, कलकत्ता-16	9,27,000
462.	दरूला	डाकघर पांडवेश्वर	ईस्ट सातग्राम कोल कम्पनी लिमिटेड, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता	5,41,000
463.	दामोदा	डाकघर रानीगंज	दामोदर कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर रानीगंज, बर्दवान	5,64,000
464.	डूमरा	डाकघर कालीपहाड़ी	कतरास झरिया कोल कंपनी, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	17,41,000
465.	डाबोर	डाकघर सामदी	एच० राय एन्ड टी० राय डाबोर कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सामदी, बर्दवान	85,000
466.	दामगोड़िया आमदीहा	डाकघर सामदी	दामगोड़िया आमदीहा कोल कंपनी, डाकघर सालनपुर	1,31,000
467.	देशारमोहन	डाकघर चुरुलिया	सी० एल० पोद्दार एन्ड अदर्स, डाकघर चुरुलिया	1,09,000
468.	डालमिया	डाकघर सालनपुर	आर० एस० डालमिया, 26, न्यू अलीपुर रोड, कलकत्ता-27	1,07,000
469.	डमरा	डाकघर कालीपहाड़ी	ए० पी० दत्ता एन्ड कम्पनी, हटन रोड, आसनसोल	4,000
470.	देवेलिया एण्ड वे० देवलिया	डाकघर कालीपहाड़ी	के० डी० एन० सिंह, चत्तापायर, डाकघर कालीपहाड़ी	4,000
471.	घुस्सल	—	इक्विटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, 1/2 लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-16	रकम, क्रम संख्या 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
472.	धुन्दबाद	डाकघर सामदी	जे० बी० मंडल एन्ड कम्पनी, डाकघर सामदी, बर्दवान	4,000
473.	धादका	डाकघर आसनसोल	धादका कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, डाकघर आसनसोल	4,000
474.	डिगूली	डाकघर चुरुलिया	ओरिएन्टल माइनिंग एन्ड ट्रेडिंग सिन्डीकेट, डाकघर चुरुलिया, बर्दवान	4,000

1	2	3	4	5
475.	ईस्ट जमबाद	डाकघर काजोडाग्राम	अमलगमेटेड जमबाद सिन्डीकेट (प्राइवेट) लिमिटेड, 33, विप्लवी रास बिहारी बोस रोड, कलकत्ता-1	1, 93,000
476.	ईस्ट काजोडा	डाकघर ओडल	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 33, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	56,000
477.	ईस्ट सीतलपुर	डाकघर उखड़ा	ईस्ट बराकर कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर उखड़ा	7,75,000
478.	ईस्ट जमेहरी	डाकघर रानीगंज	हरसुखदास बालकिशनदास, 22, बड़तोला स्ट्रीट, कलकत्ता-7	2,09,000
479.	ईस्ट निमचा	डाकघर जे० के० नगर	ईस्ट लायकडीह कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर जे के नगर	69,56,000
480.	ईस्ट सातग्राम	डाकघर जे० के० नगर	ईस्ट सातग्राम कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	4,000
481.	ईस्ट बाड़ाबोनी	डाकघर चरणपुर	ईस्ट बड़ाबोनी कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 4, मैडिवाला गार्डन्स, कलकत्ता-19	4,000
482.	ईस्ट जमुडिया	डाकघर तोपोसी	ईस्ट जमुडिया कोल कम्पनी, डाकघर तोपोसी, बर्दवान	93,000
483.	ईस्ट रामनगर	डाकघर सालनपुर	डी० आर० सभलोक मार्फत गठित अटर्नी, बी० एल० सतनलिका, डाकघर सालनपुर, बर्दवान	44,000
484.	ईस्ट लच्छीपुर	डाकघर सीतारामपुर	ईस्ट लच्छीपुर कोलियरीज बलरुई डिशेरगढ़ कोलियरी कम्पनी, डाकघर सीतारामपुर, बर्दवान	4,000
485.	ईस्ट धुन्दबाद	डाकघर सामदी	ईस्ट धुन्दबाद कोलियरी, डाकघर सीतारामपुर	4,000
486.	ईस्ट परसन्दी	डाकघर बड़रा, जिला बीरभूम	ईस्ट परसन्दी कोलियरीज लिमिटेड, 2 कमर्शियल बिल्डिंग, 102, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	4,000
487.	ईस्ट सियारसोल	डाकघर रानीगंज	श्री जयन्त कुमार बनर्जी तथा अन्य, बर्दवान	4,000
488.	ईस्ट बोनबिडी	डाकघर सालनपुर	श्री टी० के० महतो, मैनेजिंग एजेंट, सालनपुर, बर्दवान	4,000
489.	एकराह नन्दी (न्यू जमूरी)	—	एकराह नन्दी कोल कम्पनी, एफ०-2 क्लाइव बिल्डिंग, 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	4,000
490.	गोइनका काजोडा	डाकघर काजोडाग्राम	गोइनका कोल कम्पनी, एस० बी० गोइनका, डाकघर उखड़ा, बर्दवान	7,75,000

1	2	3	4	5
491.	गुरु गोपीनाथ	डाकघर उखड़ा	ज्ञानानन्द इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर उखड़ा, बर्दवान	86,000
492.	घुसिक	डाकघर कालीपहाड़ी	कोल एण्ड मिनरल सिन्डीकेट, 36, स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-1	4,75,000
493.	घुसिक	डाकघर कालीपहाड़ी	घुसिक एण्ड मुसलिआ कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर कालीपहाड़ी, बर्दवान	5,44,000
494.	गिरमिंट	डाकघर चरणपुर	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
495.	गौरांगडीह	डाकघर पतूरिया	गौरांगडीह कोलियरी कम्पनी, (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर पनूरिया बर्दवान	1,33,000
496.	गौरांगडी बेगूनिया	डाकघर जमग्राम	जमग्राम कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर जमग्राम, बर्दवान	1,08,000
497.	गंगाराम चक	डाकघर बरहरा	मिश्र मुखर्जी एण्ड कम्पनी, डाकघर सागर भांगा, वीरभूम	26,000
498.	गोपालपुर	डाकघर मेजिआ	श्री डी० बी० परमार, डाकघर अर्द्धग्राम, बांकुरा	4,000
499.	हीराखून	डाकघर नेतुडिया	श्रीमती दुर्गा देवी सिंघानिया, डाकघर नेतुडिया, जिला पुरुलिया	7,000
500.	हरीपुर	डाकघर बहूला	सेलेक्टेड बाडाबोनी कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	9,32,000
501.	हिन्दुस्तान अलकुसा	डाकघर सामदी	श्री एस० एन० अग्रवाल, डाकघर बराकर, बर्दवान	98,000
502.	हमीरपुर	डाकघर मेजिआ बांकुरा	न्यू हमीरपुर कोलियरी कम्पनी, डाकघर तोपोसी, बर्दवान	4,000
503.	इतापरा	डाकघर एन्तपारा, जिला बर्दवान	श्री किशोर देव, डाकघर झरिया, धनबाद	4,000
504.	जोरकुरी	डाकघर चुरुलिया	जोरकुरी कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 55, धनबाद	26,000
505.	जमबाद सेलेक्टेड	डाकघर काजोडाग्राम	श्री देवजी गोलाभाई तथा अन्य, डाकघर काजोडाग्राम, बर्दवान	4,85,000
506.	जयपुरिया काजोडा	डाकघर ओंडल	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 33, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	7,24,000

1	2	3	4	5
507.	जोतजानकी खास	डाकघर तोपोसी	मेसर्स बनर्जी संतान, डाकघर तोपोसी, बर्दवान	2,12,000
508.	जमबाद काजोडा	डाकघर सिदूली	जमबाद काजोडा कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सिदूली, बर्दवान	4,33,000
509.	जे के नगर	डाकघर जे के नगर	अल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, डाकघर जे के नगर, बर्दवान	10,88,000
510.	जामुडिया ए एण्ड बी पिट्स	डाकघर नन्दी	इक्विटेबिल कोल कम्पनी लिमिटेड, 1/2, लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-16	रकम, क्रम संख्या 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
511.	जमबाद	डाकघर काजोडाग्राम	नार्थ एडजाय कोल कम्पनी, डाकघर काजोडाग्राम, बर्दवान	15,000
512.	जमुना कनाली न्यू	डाकघर मेजिआ, जिला बांकुरा	न्यू जमुना कनाली कोलियरी कम्पनी, डाकघर राजग्राम, जिला बांकुरा	4,000
513.	जमेहरी सेलेक्टेड	डाकघर रानीगंज	कोल प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर नूतनडांगा, जिला बर्दवान	4,000
514.	जोतेढेमो	डाकघर उखड़ा	जोतेढेमो कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 23/बी, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	15,000
515.	जमेहरी खास ईस्ट	डाकघर सियारसोल राजबाड़ी	जमेहरी खास कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सियारसोल राजबाड़ी	4,000
516.	जमबाद	डाकघर काजोडाग्राम	एस० एस० देवी जमबाद कोल कन्सर्न प्राइवेट लिमिटेड, 10, अखिल मिस्त्री लेन, कलकत्ता	4,000
517.	जमुडिया 5 एण्ड 6 पिट्स	डाकघर चरणपुर	इक्विटेबिल कोल कम्पनी लिमिटेड, 2, फेअरली प्लेस, कलकत्ता	रकम, क्रम संख्या 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
518.	जमुडिया 7 एण्ड 8 पिट्स	डाकघर चरणपुर	इक्विटेबिल कोल कम्पनी लिमिटेड, 2, फेअरली प्लेस, कलकत्ता	रकम, क्रम संख्या 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
519.	कासता बंगाल	डाकघर चुरलिया	कासता कोलफील्ड्स लिमिटेड, 3, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता	13,000
520.	काजोडा एण्ड वेस्टर्न काजोडा	डाकघर काजोडाग्राम	श्री के० सी० पालचौधरी, डाकघर काजोडाग्राम, बर्दवान	2,07,000
521.	काजोडा (गुजदार)	डाकघर काजोडाग्राम	दि गुजदार काजोडा कोल माइन्स लिमिटेड, डाकघर काजोडाग्राम	2,24,000

1	2	3	4	5
522.	काजोडा सेलेक्टेड	डाकघर रानीगंज	काजोडा सेलेक्टेड कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	3,38,000
523.	खास काजोडा	डाकघर काजोडाग्राम	खास काजोडा कोल कम्पनी लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	21,09,000
524.	खास सियारसोल	डाकघर सियारसोल राजबाड़ी	कुमार के० एन० मालिया, डाकघर सियारसोल, राजबाड़ी	7,000
525.	कृष्णागार	डाकघर तोपोसी	परसिया कोलियरी लिमिटेड, 25, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	1,18,000
526.	कुनुसतुड़िया	डाकघर तोपोसी	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
527.	कोटाडीह	डाकघर कोटाडीह	इक्विटेबिल कोल कम्पनी लिमिटेड, 1/2, लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता	रकम, क्रम संख्या 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
528.	कुमारडीह	डाकघर उखड़ा	कुमारडीह कोल कम्पनी, डाकघर उखड़ा, बर्दवान	11,19,000
529.	कुमारखाला	डाकघर बहूला	कुमारखाला कोलियरी कम्पनी, डाकघर बहूला, बर्दवान	†2,36,000
530.	खास छदबलपुर	डाकघर काली नगर	रानी एच० देवी और रानी के० देवी, डाकघर सियारसोल राजबाड़ी, बर्दवान	6,97,000
531.	कालीपहाड़ी	डाकघर जे के पहाड़ी	घुसिक एण्ड मुसलिया कोलियरी लिमिटेड, डाकघर कालीपहाड़ी, बर्दवान	4,03,000
532.	कुआरडीह	डाकघर कालीपहाड़ी	कुआरडीह कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 41, चौरंगी रोड, कलकत्ता-16	39,82,000
533.	खास बाड़ाबोनी	डाकघर रघुनाथ चक	ए० के० कोलियरी कम्पनी, 34-ए० सरदार शंकर रोड, कलकत्ता-29	19,000
534.	खास मोहनपुर	डाकघर सामदी	स्वर्गीय श्री रामगोटी हाजरा, डाकघर काजोडाग्राम, बर्दवान	74,000
535.	खोयराबाद	डाकघर पनुरिया	मेसर्स जमग्राम कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर बड़ा कालीबाड़ी, जिला बांकुरा	51,000
536.	कालिकापुर	डाकघर बड़ा कालीबाड़ी	श्री हरिहर बनर्जी एण्ड अदर्स, डाकघर बड़ा कालीबाड़ी, जिला बर्दवान	4,000

† इस रकम में क्रम सं० 598 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
537.	कन्यापुर	डाकघर नेतुडिया	नेतुडिया कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर नेतुडिया, जिला पुरलिया	4,000
538.	खास धुन्दबाद	डाकघर सामदी	नगरथ कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर सरोदी	4,000
539.	खास सीतलपुर	डाकघर उखडा	एन० एच० ओझा कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, क्लाइव बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	4,000
540.	काजोडा (राय दत्ता)	डाकघर काजोडाग्राम	राय दत्ता एण्ड कम्पनी, डाकघर काजोडा, बर्दवान	4,000
541.	खंदरा सीतलपुर	—	एन०एच० ओझा कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, क्लाइव बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	4,000
542.	खुदीका	डाकघर सालनपुर	श्री कृष्ण कोलियरी, डाकघर सालनपुर	4,000
543.	कालीदासपुर	डाकघर मेजिआ	श्री एम० डी० चटर्जी, 2, थाना रोड, आसनसोल	4,000
544.	खीराटोरे खास	डाकघर खीराटोरे	मेसर्स संकरी प्रसाद सिंह देव, डाकघर पंचकोट राज, पुरलिया	4,000
545.	खास जमबाद	डाकघर उखडा	श्री मोहनलाल गोइनका, डाकघर उखडा, बर्दवान	11,000
546.	कुमारपुर	डाकघर सीतारामपुर	श्री एम० एम० बोस, बडाचक, डाकघर सीतारामपुर, बर्दवान	4,000
547.	कंकरटोला	डाकघर कंकरटोला	कंकरटोला कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर कंकरटोला, बर्दवान	75,000
548.	कासता	डाकघर चुरुलिया	कासता कोलफील्ड्स लिमिटेड, 3, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता	26,000
549.	लच्छीपुर	डाकघर काजोडाग्राम	कतरास झेरिया कोल कम्पनी, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	10,53,000
550.	लोअर केन्दा	डाकघर काजोडाग्राम	खास केन्दा कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	5,49,000
551.	लोहाट	डाकघर सालनपुर	श्री भूरामल अग्रवाल, डाकघर सालनपुर, बर्दवान	64,000
552.	लक्ष्मी	—	श्री सहदेव दत्ता, बीरभूम	4,000
553.	मनोहरबहल	डाकघर आसनसोल	मेसर्स चन्द्रामल इन्द्रकुमार (प्राइवेट) लिमिटेड, 3, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	4,99,000
554.	मुखर्जी जोत जानकी	डाकघर तोपोसी	श्री सी० आर० मुखर्जी, नेताजी सुभाष रोड, रानीगंज, बर्दवान	27,000

1	2	3	4	5
555.	मधुजोड़	डाकघर काजोड़ाग्राम	मधुजोड़ कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	30,13,000
556.	महावीर	डाकघर रानीगंज	महावीर कोलियरीज लिमिटेड, 178, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता	1,43,000
557.	मोइरा	डाकघर मोइरा कोलियरी	वेस्टर्न बंगाल कोलफील्ड्स लिमिटेड, 9/1, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता	43,15,000
558.	मीठापुर	डाकघर सियारसोल राजबाड़ी	श्री निर्मल कुमार गियोलिचा, 7/2, बाबूलाल लेन, कलकत्ता-7	1,59,000
559.	मार्डन सातग्राम	डाकघर रानीगंज	वेस्ट बंगाल माइनिंग कम्पनी, डाकघर रानीगंज	12,98,000
560.	मुसलिया	डाकघर कालीपहाड़ी	घुसिक एण्ड मुसलिया कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर कालीपहाड़ी, बर्दवान	60,000
561.	मोहनपुर	डाकघर सामदी	एस० एन० चौधरी एण्ड कम्पनी, करतार निवास, बर्नपुर रोड, आसनसोल	1,19,000
562.	माधवपुर	डाकघर ओंडल	माधवपुर कोल कम्पनी, 3, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता	1,54,000
563.	मिठानी	डाकघर सीतारामपुर	इक्विटेबिल कोल कम्पनी, 1/2, लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता	रकम, क्रम सं० 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
564.	मंडलनन्दी	डाकघर नन्दी	मंडल एण्ड कम्पनी, डाकघर डिशेरगढ़	4,000
565.	मिडिल काजोड़ा एण्ड सदरन काजोड़ा	डाकघर काजोड़ाग्राम	श्री के० सी० पाल चौधरी, काजोड़ाग्राम	4,000
566.	मंडलपुर	डाकघर नन्दी	मंडलपुर कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर नियामतपुर	4,000
567.	मंगलपुर	डाकघर रानीगंज	न्यू बीरभूम कोल कम्पनी लिमिटेड, मैनेजिंग एजेन्ट्स मेसर्स एन्ड्र्यू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 150, कलकत्ता-1	4,000
568.	शेखपुर	—	श्री एम० एम० चटर्जी, ओंडल	4,000
569.	माउथडीह	डाकघर सुन्दरचक	मेसर्स माउथडीह कोल कम्पनी, डिशेरगढ़	4,000
570.	मदनपुर	—	घनश्याम कोल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 9, भवानी दत्त लेन, कलकत्ता-7	4,000
571.	न्यू केन्दा	डाकघर तोपोसी	न्यू बीरभूम कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	41,23,000

1	2	3	4	5
572.	नार्थ जमबाद	डाकघर काजोडाग्राम	नार्थ जमबाद कोल कम्पनी, डाकघर काजोडाग्राम, बर्दवान	98,000
573.	नार्थ सियारसोल	डाकघर सियारसोल, राजबाड़ी	सियारसोल माइनिंग एन्ड इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सियारसोल, राजबाड़ी, बर्दवान	12,33,000
574.	नाग काजोडा जमबाद	डाकघर उखड़ा	श्रीमती आशालता नाग एण्ड अदर्स, 5, मेंडेविला गार्डेन्स, कलकत्ता	3,57,000
575.	नार्थ चोरा	डाकघर बहूला	श्री बी० एस० दत्ता, नार्थ चोरा कोलियरी कम्पनी, डाकघर बहूला, बर्दवान	68,000
576.	न्यू जमहरी खास	डाकघर जे के नगर	न्यू जमहरी खास कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सियारसोल, राजबाड़ी, बर्दवान	13,47,000
577.	न्यू सातग्राम	डाकघर देवचन्दनगर	शेथिया माइनिंग एन्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 4, बकुल बागान रो, "मनोहर महल" कलकत्ता-25	18,70,000
578.	निमच्चा	डाकघर रानीगंज	निमच्चा कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 1/1, रोलैण्ड रोड, कलकत्ता-20	3,32,000
579.	नार्थ ब्रुक	डाकघर जे के नगर	श्री बिमल कान्ति राय, डाकघर जे के नगर	5,58,000
580.	न्यू घुसिक	डाकघर कालीपहाड़ी	वेस्ट घुसिक कोल कम्पनी लिमिटेड, 10, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	2,53,000
581.	नार्थ चरणपुर	डाकघर चरणपुर	श्री बी० एन० गांगुली, उषाग्राम, डाकघर आसनसोल, बर्दवान	18,000
582.	नार्थ घुसिक	डाकघर माजीहारा	श्री गनेश कोल कम्पनी, डाकघर आसनसोल बर्दवान	36,000
583.	न्यू दामगोड़िया	डाकघर सालनपुर	न्यू दामगोड़िया कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सालनपुर बर्दवान	4,06,000
584.	नार्थ ईस्ट सालनपुर	डाकघर सामदी	श्री ए० आर० आचार्य, डाकघर हिम्मतपुर, बर्दवान	1,28,000
585.	नार्थ वेस्ट सालनपुर	डाकघर सामदी	श्री ए० एन० मुखर्जी एन्ड अदर्स, डाकघर सामदी, बर्दवान	32,000
586.	न्यू भागरन	डाकघर सीतारामपुर	श्री एस० बनर्जी (नीलाचल), डाकघर बाड़ाबोनी, बर्दवान	4,000
587.	नार्थ पोनियाटी	डाकघर बाड़ाबोनी	श्री बी० बी० दत्ता, डाकघर बाड़ाबोनी, बर्दवान	18,000

1	2	3	4	5
588.	न्यू अर्द्धग्राम	डाकघर अर्द्धग्राम	श्री बी० पी० सिंहदेव, डाकघर पंचकोटराज, जिला पुरुलिया	4,000
589.	न्यू बामना	डाकघर सालनपुर	न्यू बामना कोलियरी कम्पनी, मेहता प्रेस, आसनसोल	58,000
590.	नकरेकोंडा बालजरी नबधानपुर महेशपुर	—	वेस्टर्न बंगाल कोलफील्ड्स लिमिटेड, 15, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 654 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
591.	नकरेकोंडा और सर्पी	—	वेस्टर्न बंगाल कोलफील्ड्स लिमिटेड, 15, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 654 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
592.	न्यू साउथ बाड़ाबोनी	डाकघर बाड़ाबोनी	मेसर्स अमियबाला घोष एण्ड सन्स, डाकघर बाड़ाबोनी	13,000
593.	नरसमुदा	आसनसोल	संपुक्रिया आसनसोल कोलियरी लिमिटेड, 18, मिशन रोड, कलकत्ता	4,000
594.	नार्थ मोसिला	डाकघर कालीपहाड़ी	नार्थ मोसिला कोलियरी कम्पनी, डाकघर कालीपहाड़ी	4,000
595.	न्यू बेगुनिया	डाकघर बराकर	श्री एस० के० मुखर्जी, बराकर	4,000
596.	नूनी	डाकघर इथोरा	मुखर्जी पी० (राय बहापुर), जी० टी० रोड, दिल्ली	4,000
597.	न्यू मंगलपुर	—	श्री जलाधर मंडल, गांव बोनबीडी, डाकघर सालनपुर	4,000
598.	नार्थ हरिपुर	डाकघर घोरे	पूर्व स्वामी-श्री के० एल० दत्ता, डाकघर बहूला, बर्दवान। दत्तापाल एण्ड कम्पनी, नार्थ हरिपुर कोलियरी, डाकघर बहूला (भागीदार-के० एल० दत्ता और डी० एन० पाल), बर्दवान	रकम, क्रम संख्या 529 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
599.	न्यू माधवपुर	—	ए० बी० ओझा एण्ड कम्पनी, 23/बी, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	रकम, क्रम संख्या 618 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
600.	न्यू नन्दी	डाकघर नन्दी	श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी श्री बाबू सुबोध मुखर्जी, फीडर रोड, रानीगंज	4,000
601.	न्यू जपुड़िया	डाकघर नन्दी	सेलेक्टेड सातग्राम कोलियरीज लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	4,000
602.	पलस्थली	डाकघर चुरुलिया	पलस्थली कोल कन्सर्न (प्राइवेट) लिमिटेड, 53, मेछुआ बाजार रोड, चिनसुरा (हुगली)	8,000

1	2	3	4	5
603.	पारिआरपुर	डाकघर कालीपहाड़ी	श्री शिवसियामल अग्रवाल, डाकघर सैंटया, बीरभूम	4,000
604.	परबेलिया	डाकघर नेतुडिया	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
605.	पटमोहना	डाकघर पटमोहना	मैसर्स पटमोहना एण्ड भरतचक कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सीतारामपुर, बर्दवान	9, 45,000
606.	पोएडीह	डाकघर सुन्दरचक	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
607.	प्रसन्न दत्ता, काजोड़ा	डाकघर काजोड़ाग्राम	श्री पी० सी० दत्ता एण्ड सन्स, 72ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	1,30,000
608.	परसकोल	डाकघर काजोड़ाग्राम	परसकोल कम्पनी, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	16,56,000
609.	परसिया	डाकघर काजोड़ाग्राम	परसिया कोलियरीज कम्पनी, 25, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	29,19,000
610.	प्रापर काजोड़ा	डाकघर काजोड़ाग्राम	श्री निम्बारक प्रापर काजोड़ा कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 135, बिपलवी रास बिहारी बोस रोड, कलकत्ता-1	1,27,000
611.	प्यौर बंसड़ा	डाकघर रानीगंज	प्यौर कुस्तोड कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, 8, लायन्स रेंज, कलकत्ता	*10,39,000
612.	प्यौर जमबाद	डाकघर काजोड़ाग्राम	प्यौर जमबाद कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता	3,52,000
613.	प्यौर काजोड़ा	डाकघर काजोड़ाग्राम	ईस्ट बराकर कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	6,40,000
614.	प्यौर केन्दा	डाकघर उखड़ा	प्यौर केन्दा कोल कम्पनी, डाकघर उखड़ा, बर्दवान	4,000
615.	प्यौर सियारसोल	डाकघर सियारसोल राजवाड़ी	कुमार रानी एच० देवी, डाकघर सियारसोल राजवाड़ी, बर्दवान	2,48,000
616.	पांसुली	डाकघर नूतनडांगा	कृष्णा वैली सेलेक्टेड कोल कम्पनी, डाकघर नूतनडांगा	33,000
617.	प्यौर सामला	डाकघर नूतनडांगा	सन डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, 14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	2,78,000

* इस रकम में क्रम सं० 426 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
618.	प्यौर सीतलपुर	डाकघर उखड़ा	प्यौर सीतलपुर कोल कंसर्न (प्राइवेट) लिमिटेड, 23 बी०, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	†3,50,000
619.	पन्सुली नूतनडांगा	डाकघर गोगला	श्री डी० टी० धनुका, डाकघर नूतनडांगा, बर्दवान	3,01,000
620.	पाटरी	डाकघर रानीगंज	बर्न एण्ड कम्पनी, 12, मिशन रो, कलकत्ता	4,000
621.	प्रीटोरिआ	डाकघर चरणपुर	सीबपुर कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	4,000
622.	पुरुषोत्तमपुर एण्ड अभिरामपुर	—	टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	4,000
623.	पांडवेश्वर	डाकघर बराकर	श्री पांडवेश्वर कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर सालनपुर, बर्दवान	4,000
624.	पोनिआटी बाड़ाबोनी	डाकघर चरणपुर	श्रीमती आशालता नाग एण्ड अदर्स, 4, मेंडेविला गार्डन्स, कलकत्ता-19	4,000
625.	प्रीमियर नन्दी	डाकघर नन्दी	श्री सुनील कुमार मित्रा, 19/ए, डालिमताला लेन, कलकत्ता-6	4,000
626.	प्यौर दालूरबांध (सामला दालूरबांध के निकट)	—	प्यौर दालूरबांध कोल कम्पनी, डाकघर पांडवेश्वर, बर्दवान	रकम, क्रम सं० 660 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
627.	पोनिआटी माइन्स	डाकघर नन्दी	कृष्णा वैली सेलेक्टेड कोल कम्पनी, डाकघर नन्दी, बर्दवान	11,000
628.	रामजीवनपुर	डाकघर सीतारामपुर	रामजीवनपुर कोल कम्पनी लिमिटेड, 4, मेंडेविला गार्डन्स, कलकत्ता	4,20,000
629.	रानीपुर	डाकघर डिशेरगढ़	इक्विटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, 1/2, लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता	रकम, क्रम सं० 411 के सामने विनिर्दिष्ट रकम सम्मिलित है।
630.	रियल काजोडा	डाकघर काजोडाग्राम	रियल काजोडा कोलियरी ट्रस्ट, 24, स्ट्रैन्ड रोड, कलकत्ता	1,48,000
631.	रियल जमबाद	डाकघर बहूला	ओरिएन्टल कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 25, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता	4,66,000
632.	रतिबाती	डाकघर कालीपहाड़ी	वेस्ट बंगाल माइनिंग कम्पनी, डाकघर कालीपहाड़ी, बर्दवान	19,29,000
633.	राधामाधबपुर	डाकघर कालीपहाड़ी	घुसिक एण्ड मुसलिया कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर कालीपहाड़ी, बर्दवान	71,000

† इस रकम में क्रम सं० 599 और 681 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
634.	राना नंबर 6 पिट	डाकघर कालीपहाड़ी	लोडना कोलियरी कम्पनी (1920) लिमिटेड, 6, लायन्स रेंज, कलकत्ता	*94,66,000
635.	रानीगंज	डाकघर रानीगंज	बंगाल कोल कम्पनी, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	रकम, क्रम संख्या 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
636.	राधाबल्लभपुर	डाकघर सामदी	आटोमोटिव मैनुफैक्चरर्स एजेन्सीज, पी० 27, प्रिंसेस स्ट्रीट, कलकत्ता-13	14,000
637.	रंगकनाली	डाकघर सामदी	मेसर्स सूरजमल गुप्ता एण्ड अदर्स, 135, बिपलबी रास बिहारी बोस रोड, कलकत्ता-1	82,000
638.	रियल सालनपुर	डाकघर सालनपुर	सालनपुर सिंडीकेट लिमिटेड, 3, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता	4,000
639.	रियल रानीगंज	डाकघर रानीगंज	रियल रानीगंज कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर रानीगंज	4,000
640.	रियल नन्दी	डाकघर नन्दी	रियल नन्दी कोलियरीज लिमिटेड, 8/2, हेस्टिंग्स स्ट्रीट, कलकत्ता	4,000
641.	रुस्सा	डाकघर रुस्सा	सेलेक्टेड रानीगंज कोलियरीज, 21, इकडालिया रोड, कलकत्ता	4,000
642.	सैंक्टोरिया	डाकघर डिशेरगढ़	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	रकम, क्रम संख्या 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
643.	सीतलपुर	डाकघर डिशेरगढ़	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	रकम, क्रम संख्या 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
644.	सोदपुर 9 एण्ड 10 पिट्स	डाकघर सुन्दरचक	बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	रकम, क्रम संख्या 432 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
645.	साउथ जयरामडांगा	डाकघर आसनसोल	डिशेरगढ़ कोल कम्पनी लिमिटेड, 3, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता	4,72,000
646.	सियारसोल	डाकघर रानीगंज	सियारसोल कोल कम्पनी लिमिटेड, 22, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता	2,61,000
647.	सिंगारन	डाकघर तोपोसी	सिंगारन कोल सिंडीकेट लिमिटेड, 237-पी०/1ए०, मानिकटोला मेन रोड, कलकत्ता	1,02,000
648.	सीतलदासजी सेलेक्टेड	डाकघर सियारसोल राजबाड़ी	मेसर्स पूरनमल श्रीनिवास एण्ड ब्रदर्स, सियारसोल राजबाड़ी, बर्दवान	2,80,000

* इस रकम में क्रम सं० 669, 670 और 671 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
649.	साउथ जमबाद	डाकघर काजोडाग्राम	साउथ परसिया कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 33, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	8,000
650.	साउथ परसिया	डाकघर काजोडाग्राम	साउथ परसिया कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 25, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	1,14,000
651.	सामला वैद्यनाथपुर	डाकघर पान्डवेश्वर	अशोक मिनरल एण्ड कम्पनी, डाकघर पान्डवेश्वर, बर्दवान	2,88,000
652.	सामला छत्रीस गोंडा	डाकघर पान्डवेश्वर	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड, 33, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	2,31,000
653.	सामला दालूरबांध	डाकघर पान्डवेश्वर	सामला दालूरबांध कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर झरिया, धनबाद	6,25,000
654.	सामला मांडेरबोनी	डाकघर पान्डवेश्वर	वेस्टर्न बंगाल कोलफील्ड्स लिमिटेड, 9/1 आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-1	†24,67,000
655.	सामला केन्द्र	डाकघर पान्डवेश्वर	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 33, नेजाजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	11,34,000
656.	सामला पांडवेश्वर	डाकघर पान्डवेश्वर	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 33, नेजाजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	2,25,000
657.	सामला रामनगर	डाकघर पान्डवेश्वर	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 33, नेजाजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	4,50,000
658.	सर्पी काजोडा	डाकघर उखड़ा	सर्पी काजोडा कोल माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 33, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता	6,49,000
659.	सेलेक्टेड काजोडा जमबाद	डाकघर पान्डवेश्वर	सेलेक्टेड काजोडा जमबाद कोलियरी, डाकघर उखड़ा, बर्दवान	1,31,000
660.	सेलेक्टेड सामला	डाकघर पान्डवेश्वर	सेलेक्टेड दालूरबांध कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 137, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता-7	*7,04,000
661.	सिदूली	डाकघर उखड़ा	सिदूली कोलियरी कम्पनी, डाकघर उखड़ा, बर्दवान	1,42,000
662.	सीतलपुर	डाकघर सिदूली	सीतलपुर कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर सिदूली, बर्दवान	3,02,000

† इस रकम में क्रम सं० 590 और 591 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

* इस रकम में क्रम सं० 626 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत संदेय रकम सम्मिलित है।

1	2	3	4	5
663.	साउथ ऐडजाय	डाकघर गोगला	गोपाल कोलियरीज लिमिटेड, 174, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-7	4,000
664.	शंकरपुर	डाकघर उखड़ा	उखड़ा मिनरल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर उखड़ा, बर्दवान	4,17,000
665.	सातग्राम (नागेश्वर)	डाकघर सियारसोल राजबाड़ी	नागेश्वर कोल कम्पनी कारगली कोलियरी, डाकघर बेरमो, हजारीबाग	4,75,000
666.	सेलेक्टेड सियारसोल	डाकघर रानीगंज	पूरनमल जगन्नाथ, डाकघर रानीगंज	4,88,000
667.	श्री अमृतनगर सेलेक्टेड	डाकघर रानीगंज	श्रीनिवास एण्ड सन्स, डाकघर रानीगंज	14,41,000
668.	सिबपुर	डाकघर घरणपुर	कतरास झेरिया कोल कम्पनी लिमिटेड, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-1	4,000
669.	श्रीपुर इन्क्लाइन	डाकघर कालीपहाड़ी	लोडना कोलियरी कम्पनी (1920) लिमिटेड, 6, लायन्स रेंज, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 634 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
670.	श्रीपुर 1, 2 एण्ड 3 पिट्स	डाकघर कालीपहाड़ी	लोडना कोलियरी कम्पनी (1920) लिमिटेड, 6, लायन्स रेंज, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 634 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
671.	श्रीपुर 4, 5 एण्ड 6 पिट्स	डाकघर कालीपहाड़ी	लोडना कोलियरी कम्पनी (1920) लिमिटेड, 6, लायन्स रेंज, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 634 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
672.	सामदी संग्रामगढ़	डाकघर सामदी	बी० हाजरा एण्ड कम्पनी, डाकघर सामदी	3,44,000
673.	सिबपुर	—	मनीष कुमार मुखर्जी एण्ड डाक्टर ए० के० भट्टाचार्जी, डाकघर सिबपुर, बर्दवान	4,000
674.	श्री घनश्याम	डाकघर काजोड़ा	घनश्याम कोल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 7, भवानी दत्त लेन, कलकत्ता-7	53,000
675.	शबनपुर	डाकघर सालनपुर	श्रीधर मुखर्जी न्यू बीरभूम कोल कम्पनी, बर्दवान	4,000
676.	सेलेक्टेड काजोड़ा	डाकघर रानीगंज	काजोड़ा सेलेक्टेड कोलियरी कम्पनी, 135, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	4,000
677.	सेलेक्टेड धुन्दबाद	डाकघर सालनपुर	सेलेक्टेड धुन्दबाद कोलियरी कम्पनी, डाकघर सालनपुर	4,000

1	2	3	4	5
678.	साउथ नौपारा	डाकघर ओंडल	प्यौर डिशेरगढ़ कोल कम्पनी लिमिटेड, 51, गरनहट्टा लेन, कलकत्ता	4,000
679.	सीतलनगर	डाकघर काजोडाग्राम	जगन्नाथ बुचासिया एण्ड अदर्स, पूर्ण निवास मैन्शन, रानीगंज	4,000
680.	श्री	डाकघर चरणपुर	बेलबेड कोलियरी लिमिटेड, डाकघर रानीगंज	4,000
681.	श्री सीतलपुर	—	प्यौर सीतलपुर कोल कन्सर्न, 23/बी, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	रकम, क्रम संख्या 618 के सामने विनिर्दिष्ट रकम में सम्मिलित है।
682.	सेलेक्टेड बंसकुरी	डाकघर मेजिआ	सेलेक्टेड बंसकुरी कोलियरी कम्पनी, 3, गंगेधर सरायान, डाकघर रानीगंज	4,000
683.	संतमालउथा	डाकघर नेतुडिया	माउथा डिशेरगढ़ कोल कम्पनी, डाकघर बराकर	4,000
684.	साउथ केन्दा	डाकघर तोपोसी	साउथ केन्दा कोल कम्पनी (रतनलाल गोइन्का एण्ड सूरजभान गनेरीवाला), डाकघर तोपोसी	15,000
685.	सिबदासपुर	डाकघर सालनपुर	सिबदासपुर कोलियरी कम्पनी, डाकघर सीतारामपुर, बर्दवान	4,000
686.	सेलेक्टेड जमुडिया	डाकघर नन्दी	ए० के० गोस्वामी, डाकघर बिरकुलटी, बर्दवान	4,000
687.	सतपुकुरिया	डाकघर आसनसोल	सतपुकुरिया एण्ड आसनसोल कोलियरीज लिमिटेड, 18, मिशन रो, कलकत्ता	4,000
688.	साउथ सामला	डाकघर पांडवेश्वर	कल्याणजी मवजी एंड कम्पनी, 14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	11,000
689.	सालनपुर ए सीम	डाकघर सालपुर	न्यू सेरगढ़ कोल कम्पनी, डाकघर सालनपुर, बर्दवान	4,000
690.	साउथ ईस्ट बाडाबोनी खास	डाकघर चरणपुर	भारत कोलियरीज लिमिटेड, 11 क्लाइव रो, कलकत्ता	4,000
691.	श्यामसुन्दरपुर	डाकघर उखड़ा	बर्दवान कोलियरीज लिमिटेड, 5, सायनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता	15,000
692.	सामला गोविन्दपुर	डाकघर पांडवेश्वर	सामला गोविन्दपुर कोलियरी (प्राइवेट) लिमिटेड, 33, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	4,000
693.	सेलेक्टेड नन्दी	डाकघर सिदूली	ज्योत्सना देवी, डाकघर सीतारामपुर, बर्दवान	4,000
694.	साल्टोर	डाकघर साल्टोर	बराकर कोल कम्पनी, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता	4,000

1	2	3	4	5
695.	सेलेक्टेड बाड़ाबोनी	डाकघर चरणपुर	सेलेक्टेड बाड़ाबोनी कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर चरणपुर, बर्दवान	4,000
696.	तोपोसी	डाकघर तोपोसी	एसोसिएटेड नन्दी कोलियरीज लिमिटेड, 18, नेतीजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	7,65, 00
697.	तारा	डाकघर बिरकुलटी	तारा कोलियरी लिमिटेड, 19, राधानगर रोड, बर्नपुर, आसनसोल	1,07,000
698.	तोपोसी कोराडांगा	डाकघर तोपोसी	न्यू तोपोसी कोराडांगा कोल कन्सर्न, डाकघर तोपोसी, बर्दवान	4,000
699.	उत्त धदका	डाकघर काजोडाग्राम	न्यू बीरभूम कोल कम्पनी, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता	4,000
700.	अपर काजोडा	डाकघर काजोडाग्राम	हरी प्रसाद भान सिंघा, 29 ए, सर एच० गोइनका स्ट्रीट, कलकत्ता-7	4,000
701.	विक्ट्रो ग्रुप	डाकघर नूतनडांगा	कोल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 3, बंकशैल स्ट्रीट, कलकत्ता	12,55,000
702.	विश्वेशरी खान्द्र	डाकघर उखड़ा	एन० एच० ओझा एण्ड कम्पनी, गिलेन्डर्स हाउस, 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	9,37,000
703.	बायसराय (मंडल)	डाकघर डिशेरगढ़	बी० एन० मंडल एण्ड कम्पनी, पारिख बिल्डिंग, 22, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता	4,000
704.	वेस्टर्न काजोडा	डाकघर काजोडाग्राम	वेस्टर्न काजोडा कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 178, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता	2,37,000
705.	वेस्ट बाड़ाबोनी	डाकघर रघुनाथचक	माडर्न कोल ट्रेडिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर रघुनाथचक, बर्दवान	71,000
706.	वेस्ट पलासिहा	डाकघर आसनसोल	पी० के० अग्रवाल एण्ड अदर्स (बी० एल० अग्रवाल एण्ड सन्स), डाकघर झरिया	4,000
707.	वेस्ट जमुडिया	डाकघर चरणपुर	वेस्ट जमुडिया कोल कम्पनी लिमिटेड, 2 ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता	4,000
दार्जिलिंग कोयला क्षेत्र				
708.	डालिंगकोट	डाकघर पिलनहट	हिमालय कोल एण्ड मिनरल इंडस्ट्रीज, डाकघर बगराकोट, दार्जिलिंग	4,000
709.	ईस्ट बगराकोट	डाकघर पिलनहट	डालिंगकोट कोलियरी डाकघर, पिलनहट, दार्जिलिंग	4,000
710.	कागू	डाकघर मानाबाड़ी	चौधरी एण्ड चक्रवर्ती, चतुर भाटी, डाकघर बगराकोट	4,000
711.	लिथी वैली	डाकघर फागू	बी० डी० शर्मा, दार्जिलिंग	4,000

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची में जहां कहीं पाद-टिप्पणों में किसी ऐसी रकम में बारे में, जो पांचवे स्तम्भ में किसी कोयला खान के सामने विनिर्दिष्ट है, यह घोषित किया गया है कि उसमें एक या अधिक अन्य कोयला खानों के सम्बन्ध में संदेय रकम भी सम्मिलित है, वहां उन सभी कोयला खानों के बारे में, जिनके सम्बन्ध में ऐसी रकम उक्त स्तम्भ में संदेय विनिर्दिष्ट की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वे कोयला खानों का एक समूह गठित करती हैं।
